

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 सितम्बर, 2017-आश्विन 7, शके 1939

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि बचपन में मेरा नाम अंगूरी साहू था. मेरी मार्कशीट में भी यही नाम अंगूरी साहू दर्ज है. शादी के बाद मेरा नाम रश्मि साहू पति महेश प्रसाद साहू हो गया है. अतः मुझे रश्मि साहू के नाम से जाना जाए.

पुराना नाम :

(अंगूरी साहू)

(409-बी.)

नया नाम :

(रश्मि साहू)

पति महेश प्रसाद साहू,
पोल फ़ैक्ट्री के सामने, अहदमपुर रोड,
विदिशा (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का नाम सिद्धार्थ सिरौलिया जो कि मेरा एक मात्र पुत्र है लेकिन भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी नं. 200046527 में त्रुटिवश उसका नाम मास्टर हिमांशु सिरौलिया तथा जन्म दिनांक 8 मार्च, 1998 अंकित हो गया है मैं शपथ पूर्वक सत्यापित करता हूँ कि उसका सत्य एवं सही नाम सिद्धार्थ सिरौलिया तथा जन्म दिनांक 8 मार्च, 2000 है जो कि बैंक एवं समस्त दस्तावेजों में अंकित हैं. अतः अपने पुत्र की भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी नं. 200046527 में हिमांशु की जगह सिद्धार्थ सिरौलिया पढ़ा जावे जो कि दोनों नाम एक ही हैं व हिमांशु उसका घर का प्यार का नाम है. यदि भविष्य में उक्त नाम बावत् कोई आपत्ति उठाई जाती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी मुझे शपथकर्ता की होगी.

(410-बी.)

देवेन्द्र सिंह सिरौलिया,

(अति. पुलिस अधीक्षक),

पुत्र स्व. श्री सोहनपाल सिरौलिया,

निवासी-बहरा पंडित संतर, मुरार,

जिला ग्वालियर (म.प्र.).

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पहले मेरा नाम अनिल मंगल पिता श्री ओमप्रकाश अग्रवाल था जो कि बदलकर अनिल अग्रवाल पिता श्री ओमप्रकाश अग्रवाल हो गया है. अतः भविष्य में मुझे अनिल अग्रवाल पिता श्री ओमप्रकाश अग्रवाल के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(अनिल मंगल)

(411-बी.)

नया नाम :

(अनिल अग्रवाल)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पहले मेरा नाम शर्मिला मंगल पति श्री अनिल मंगल था जो कि बदलकर शर्मिला अग्रवाल पति श्री अनिल अग्रवाल हो गया है. अतः भविष्य में मुझे शर्मिला अग्रवाल पति श्री अनिल अग्रवाल के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(शर्मिला मंगल)

(412-बी.)

नया नाम :

(शर्मिला अग्रवाल)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण मैं, यह कथन करती हूँ मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम रिता बनकर अंकित है, शादी के पश्चात् रिता बडगे अंकित है. भविष्य में मुझे परिवर्तित नये नाम गौतमी बडगे पति विजय पी बडगे से जाना एवं पहचाना जाए.

पुराना नाम :

(रिता बडगे)

(413-बी.)

नया नाम :

(गौतमी बडगे)

नाम परिवर्तन

मैं, अनूप कुमार साहू पुत्र श्री मूलचंद साहू, उम्र 47 वर्ष, निवासी वार्ड क्र. 01, नौगाँव रोड, छतरपुर (म.प्र.) यह घोषित करता हूँ कि मेरी पुत्री दिव्यांशी साहू की कक्षा 10वीं की अंकसूची में पिता का नाम अनूप साहू अंकित हो गया है जबकि मेरा वास्तविक सही नाम अनूप कुमार साहू है. जो मेरे शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों में दर्ज है. मैं, अपनी पुत्री की अंकसूची में पिता का नाम अनूप साहू की जगह अनूप कुमार साहू लिखवाना चाहता हूँ अतः मेरा नाम अनूप कुमार साहू लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(अनूप साहू)

(414-बी.)

नया नाम :

(अनूप कुमार साहू)

वार्ड क्र. 01, ट्रांसपोर्ट नगर नौगाँव रोड,
छतरपुर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम विनय कुमार (VINAY KUMAR) था, जो कि मेरे दस्तावेजों के उपरांत विनय चौधरी पिता कमल कुमार चौधरी (VINAY CHOUDHARY S/O KAMAL KUMAR CHOUDHARY) हो गया है. अतः मुझे सिर्फ विनय चौधरी पिता कमल कुमार चौधरी के नाम से जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम :

(विनय कुमार)

(415-बी.)

नया नाम :

(विनय चौधरी)

पिता कमल कुमार चौधरी,
ग्राम-सिरोलिया, जिला देवास (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, AALOK JAIN S/O SHRIL.C. JAIN, उम्र 40 वर्ष, निवासी-गुलजार होटल के पीछे, महानददा, नरसिंह वार्ड जबलपुर में निवास करता हूँ। मेरे सभी शैक्षणिक एवं शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम के अंग्रेजी में ALOK JAIN लिखा हुआ है यह कि मैं अब उक्त नाम को अंग्रेजी में सुधार कर AALOK JAIN S/O SHRIL.C. JAIN किया जावें।

पुराना नाम :

(ALOK JAIN)

(416-बी.)

नया नाम :

(AALOK JAIN)**CHANGE OF NAME**

I, PARAPATI APPALARAJU residing at AIR FORCE STATION MAHARAJPURA, Gwalior M.P. have changed my name from PARAPATI APPALARAJU to P TRIVIKRAM REDDY vide affidavit dated 19-07-2017 before Distt. Court Gwalior.

Old Name:

(PARAPATI APPALARAJU)

(418-B.)

New Name :

(P TRIVIKRAM REDDY)

Gwalior (M.P.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम नागेन्द्र प्रसाद था अब मैंने अपना वास्तविक नाम नागेन्द्र प्रसाद सिन्हा कर लिया है। अतः मुझे इसी नाम से जाना, पहचाना एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम :

(नागेन्द्र प्रसाद)

(419-बी.)

नया नाम :

(नागेन्द्र प्रसाद सिन्हा)निवासी-बी 10/14 महानंदा नगर, उज्जैन,
द्वारा-महावीर प्रसाद जोशी, (एडवोकेट).**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम नीरज कुमारी प्रसाद पुत्री नागेन्द्र प्रसाद था। अब मैंने अपना वास्तविक नाम नीरज प्रसाद सिन्हा पुत्री नागेन्द्र प्रसाद सिन्हा कर लिया है। अतः मुझे इसी नाम से जाना, पहचाना व पढ़ा जावे।

पुराना नाम :

(नीरज प्रसाद)

(420-बी.)

पुत्री नागेन्द्र प्रसाद सिन्हा.

नया नाम :

(नीरज प्रसाद सिन्हा)पुत्री नागेन्द्र प्रसाद सिन्हा,
द्वारा-महावीर प्रसाद जोशी, (एडवोकेट).**जाहिर सूचना**

[भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-63(1) के अधीन]

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म राजेश शंकरलाल चौकसे संतोषी माता वार्ड 25, पाण्डुर्ना, जिला छिन्दवाड़ा, पंजीयन क्रमांक 04/17/06/0027/09 की रचना में दिनांक 31-03-2017 से निम्न भागीदारों क्रमशः (1) राधेश्याम उपाध्याय पिता श्री चिंतामन उपाध्याय, (2) संदीप श्रीवास्तव पिता श्री रघुनाथ श्रीवास्तव, (3) महेन्द्र कुमार जैन पिता श्री प्रेमचंद जैन ने सेवानिवृत्त ले ली है, तथा नया भागीदार श्री महेश कुमार दुबे पिता श्री खूबचंद दुबे दिनांक 01-04-2017 से फर्म में भागीदार के रूप में सम्मिलित किये गये हैं। इस प्रकार दिनांक 01-04-2017 से चालू रहने वाले 09 साझेदार भागीदारी फर्म का कार्यभार सम्हालेंगे।

संदीप गुमास्ता,

(अधिवक्ता)

(399-बी.)

प्रियदर्शनी कॉलोनी, छिन्दवाड़ा.

जाहिर सूचना

[भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-63(1) के अधीन]

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म शैलेन्द्र खन्ना, संतोषी माता वार्ड 25, पांडुर्ना, जिला छिन्दवाड़ा, पंजीयन क्रमांक 04/17/06/0025/09 की रचना में दिनांक 31-03-2007 से निम्न भागीदारों क्रमशः (1) राधेश्याम उपाध्याय पिता श्री चिंतामन उपाध्याय, (2) संदीप श्रीवास्तव पिता श्री रघुनाथ श्रीवास्तव, (3) महेन्द्र कुमार जैन पिता श्री प्रेमचंद जैन ने सेवानिवृत्त ले ली है, तथा नया भागीदार श्री महेश कुमार दुबे पिता श्री खूबचंद दुबे दिनांक 01-04-2017 से इस फर्म में भागीदार के रूप में सम्मिलित किये गये हैं। इस प्रकार दिनांक 01-04-2017 से चालू रहने वाले 09 साझेदार भागीदारी फर्म का कार्यभार सम्हालेंगे।

संदीप गुमास्ता,
(अधिवक्ता)

प्रियदर्शनी कॉलोनी, छिन्दवाड़ा.

(400-बी.)

PUBLIC NOTICE

This is to publically notify that, Effective from 07-12-2016 Shree Mohit Thanna S/o Virendra Thanna, Mandsaur as the legal heir's been added in the partnership firm due to the demise of shree Virendra Kumar Thanna S/o Shree Rampratap ji Thanna, operating under the name M/s Dhakad Automobiles, Shree Rampratap Thanna S/o Lt. Shree Nirbhayaram ji Thanna, Shree Arun Thanna S/o Rampratap ji Thanna, Shree Bhagwatilal Thanna S/o Bapulal ji Thanna, Shree Sunil Kumar Thanna S/o Bapulal ji Thanna, Shree Dinesh Thanna S/o Omprakash Ji Thanna, Shree Baldev Thanna S/o Laxminarayan Ji Thanna, Shree Surendra Thanna S/o Laxminarayan Ji Thanna are the partner of the firm and shall continue to operate the business under the name M/s Dhakad Automobiles all accounts have been settled and representations taken that liabilities other than those Noted Shall not be entertained by the aforementioned firm. This Notice is issued with the consent of all the parties indicated above in the interest of all the related parties and general public.

For—Dhakad Automobiles,

MOHIT THANNA,

Mahu Neemuch Road, Dalauda (M.P.).

(401-B.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्टर्ड M/s J & N Constructions पता-लोर ग्राउंड फ्लोर, सेंटर प्वाइंट, न्यू मार्केट, टी. टी. नगर, भोपाल की रचना में निम्नानुसार परिवर्तन हुए हैं। श्रीमति जागती सिंह पत्नी श्री भूपेन्द्र सिंह, पता 40, जानकारी रेसीडेंसी कोलार रोड, भोपाल दिनांक 31 अगस्त, 2017 से भागीदारी फर्म से पृथक् हुए। भागीदारी फर्म में श्री विनोद तिवारी आत्मज स्व. श्री हरिशंकर, निवासी 6/4-ए साकेत नगर, भोपाल को शामिल किया गया है। साथ ही फर्म के रजिस्टर्ड कार्यालय का पता परिवर्तित भी किया गया है। फर्म का नया पता 6/4ए, साकेत नगर, भोपाल-462024 है।

M/s J & N Constructions,

नीतू तिवारी,

(भागीदार).

पता-6/4 ए, साकेत नगर, भोपाल (म.प्र.).

(402-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स सेन्ट्रल इण्डिया कंस्ट्रक्शन एण्ड कंसलटेन्ट्स स्थित गोवर्धन कॉलोनी, गोले का मंदिर, ग्वालियर, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00134/06, दिनांक 20-01-2006 है। जिसमें दिनांक 01-09-2017 से (1) जय सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह, (2) भगवान सिंह पुत्र श्री गिरावल सिंह, (3) सत्येन्द्र सिंह पुत्र श्री वीरवल सिंह, निवासीगण गोवर्धन कॉलोनी, गोले का मंदिर, ग्वालियर अपनी स्वयं की इच्छा से फर्म की भागीदारी से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 01-09-2017 को शिवराज सिंह पुत्र श्री जवर सिंह, निवासी माँ वैष्णोपुरम, गेहूँ मिल के पास, गदाईपुरा, बिरला नगर, ग्वालियर फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं तथा दिनांक 01-09-2017 से फर्म का मुख्य कार्यालय गोवर्धन कॉलोनी, गोले का मंदिर, ग्वालियर से परिवर्तित कर नवीन स्थान माँ वैष्णोपुरम, गेहूँ मिल के पास, गदाईपुरा, बिरला नगर, ग्वालियर पर हो गया है। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

मैसर्स सेन्ट्रल इण्डिया कंस्ट्रक्शन एण्ड कंसलटेन्ट्स

दिनांक 20-09-2017

उर्मिला सिंह,

(भागीदार).

ग्वालियर (म.प्र.).

(403-बी.)

PUBLIC NOTICE

This is to inform that M/s Maa Bhawani Associates, a registered partnership firm *vide* Regn. No. 04/14/01/00190/12 has changed its registered office address through amended deed of partnership dated 24-03-2017.

Previous Address-MR-4, Muskaan Plaza, Jabalpur

New Address-1101, Bhanot House, Gorakhpur, Jabalpur

On 24-03-2017, Shri Manoj Kumar Jain has retired from the partnership and Shri Gaurav Bhanot, Smt. Rajni Bhanot, Shri Vandit Bhanot, M/s Bhasin Real Estate Pvt. Ltd. joined in as Partners of the firm. Now the partners of the firm are Shri Gaurav Bhanot, Smt Rajni Bhanot, Shri Vandit Bhanot, M/s Bhasin Real Estate Pvt. Ltd and Shri Shankar Lal Manchani.

This public notice is being published for the purpose of registration of change in address of Registered office and change in composition of the firm with the office of registrar of firms and society.

For, M/s Maa Bhawani Associates,

गौरव बोहरे,

(Partner).

(404-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मे. शिवशक्ति ग्रुप रजि. क्र. 06/09/02/0102/16, दिनांक 03-03-2016 से संचालित है जिसमें अमित चौहान आत्मज श्याम सिंह भी भागीदार हैं सभी भागीदारों की आपसी सहमति से अमित चौहान को फर्म से हटाया गया है तथा मे. शिवशक्ति ग्रुप का नया पता बापट क्लिनिक के पीछे, वीर सावरकर वार्ड, बीना, तहसील बीना, जिला सागर, मध्यप्रदेश हो गया है. अतः जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो उक्त पते पर 15 दिवस के अन्दर संपर्क करें.

मे. शिवशक्ति ग्रुप बीना,

1. शैलेन्द्र ठाकुर, 2. सौरभ चौबे,

3. विवेक सेन, 4. आशीष पटैरिया,

(Partner).

(417-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स हाईराईज डेव्लपर्स, पता-7, कालानी नगर, एयरपोर्ट रोड, इन्दौर के भागीदार श्री धनराज घाटे पिता श्री रमेशजी घाटे, निवासी 351, शिवाजी नगर, इन्दौर, दिनांक 02-09-2013 को सेवानिवृत्त हो गये हैं, इनके स्थान पर भागीदारी फर्म में नए भागीदार को सम्मिलित कर लिया गया है. उक्त दिनांक के पश्चात् उक्त सेवानिवृत्त भागीदार धनराज घाटे को उक्त फर्म से किसी भी प्रकार का कोई लेन-देन शेष नहीं रहा है.

मेसर्स हाईराईज डेव्लपर्स,

1. धनराज घाटे,

2. अभिषेक शर्मा,

(Partner)

पता-7, कालानी नगर, एयरपोर्ट रोड,

इन्दौर (म.प्र.).

(405-बी.)

आम सूचना

मे. लव इण्डस्ट्री 54, इण्डस्ट्रियल एरिया, सतना (म.प्र.) दिनांक 01-09-2003 से संचालित है. उक्त फर्म में श्री रोशनलाल बुलानी व श्रीमती आशा सिंह अरोरा, पार्टनर (भागीदार) थे. दिनांक 01-04-2009 को उक्त फर्म में श्री लक्ष्मण बुलानी व श्री सनी सिंह अरोरा भी पार्टनर बन कर जुड़े थे. दिनांक 30-09-2014 को उक्त फर्म से श्री रोशनलाल बुलानी व श्री लक्ष्मण बुलानी रिटायर हो गए हैं. यानि इन दोनों ने भागीदारी समाप्त कर ली है. दिनांक 01-10-2014 से उक्त फर्म में श्री राजेन्द्र सिंह अरोरा व हिमान्शू सिंह अरोरा पार्टनर बन कर जुड़ गये हैं. दिनांक 01-10-2014 से उक्त फर्म में पार्टनर इस प्रकार हैं-(1) श्रीमती आशा सिंह अरोरा, (2) श्री राजेन्द्र सिंह अरोरा, (3) श्री सनी सिंह अरोरा, (4) श्री हिमान्शू सिंह अरोरा.

Love Industries,

आशा सिंह अरोरा, राजेन्द्र सिंह अरोरा,

हिमान्शू सिंह अरोरा, सनी सिंह अरोरा,

(Partner).

(406-B.)

आम सूचना

मेसर्स जमना फार्मास्युटिकल्स प्लाट नं. 15, बलवंत आर्केड, प्रथम तल, महाराणा प्रताप नगर, जोन-2, भोपाल म.प्र. के भागीदार डॉ. श्री कृष्णदास माहेश्वरी पुत्र स्व. धनराज जी डांगरा, निवासी ई-3/101, अरेरा कॉलोनी, भोपाल के निधन दिनांक 17-04-2017 के पश्चात् दिनांक 18-04-2017 से डॉ. सुषेन माहेश्वरी पुत्र श्री रमेश कुमार माहेश्वरी, निवासी ई-3/101, अरेरा कॉलोनी, भोपाल जमना फार्मास्युटिकल्स प्लाट नं. 15, बलवंत आर्केड, प्रथम तल, महाराणा प्रताप नगर, जोन-2, भोपाल मध्यप्रदेश के नये भागीदार हैं।

कृते-जमना फार्मास्युटिकल्स,

सुषेन माहेश्वरी,

(भागीदार).

(407-बी.)

सार्वजनिक सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म ए. आर. एस. लोजिस्टिंग, पता-51, शिवपर्वती परिशर, झाँसी विवाह वाटिका के पास दतिया पंजीयन संख्या 02/39/01/00197/14 है. समस्त भागीदारों की सहमती से बंद होने जा रही है. इससे सम्बंधित यदि किसी भी व्यक्ति या पक्ष को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस के अन्दर अपनी आपत्ति दर्ज करे. अवधि समाप्त होने के बाद आपत्ति मान्य नहीं होगी.

M/s ARS Logisting,

1. अजय कुमार सविता,
 2. अनिल कुमार आडवानी,
 3. रविशंकर द्विवेदी,
 4. शिवकुमार द्विवेदी,
- (Partner).

(408-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर एवं पंजीयक, लोक न्यास, जिला सतना

प्रारूप क्रमांक-4

[देखिए नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम -5 (1) के द्वारा]
लोक न्यासों के पंजीयक सतना, जिला के समक्ष.

यतः कि श्री राकेश कुमार अग्रवाल तनय गोपालदास अग्रवाल, निवासी एम. आई. जी. 28, भरहुत नगर सतना, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र दिनांक 07 अक्टूबर, 2017 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जायेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

- | | | |
|------------------------|---|---|
| 1. न्यास का नाम और पता | : | आओ बनाये बेहतर जिन्दगी ट्रस्ट
बचपन स्कूल के पास भरहुत नगर, सतना. |
| 2. अचल सम्पत्ति | : | निरंक. |
| 3. चल सम्पत्ति | : | 25,000.00 रुपये. |

प्रारूप-5

[देखिए नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम -5 (1) के द्वारा] लोक न्यासों के पंजीयक, सतना के समक्ष.

अतः मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है.

अब इसलिए मैं, बलवीर रमण, जिला सतना लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 07 अक्टूबर, 2017 को कथित अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कथित न्यास की सम्पत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में नियत दिनांक 07 अक्टूबर, 2017 के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः या प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

बलवीर रमण,

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(1501)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, बिजावर, जिला छतरपुर

प्र.क्र.02/B-113/2016-17.

दिनांक 05 सितम्बर, 2017

प्रारूप क्रमांक-4

मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम (1951 का 30) मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 नियम-(5) (1) के अन्तर्गत लोक न्यासों के पंजीयक, बिजावर, जिला छतरपुर मध्यप्रदेश के समक्ष यह कि :-

क्र.	नाम	पद
1.	तहसीलदार बकस्वाहा	पदेन सदस्य
2.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बकस्वाहा.	पदेन सदस्य
3.	जीतेन्द्र पाण्डेय तनय गनेश पाण्डेय, नि. बाजना, तहसील बकस्वाहा.	अध्यक्ष
4.	सुनील शुक्ला तनय रामस्वरूप शुक्ला नि. बाजना, तहसील बकस्वाहा, जिला छतरपुर.	सचिव
5.	दीपक शुक्ला तनय जीवनलाल शुक्ला, नि. बाजना, तहसील बकस्वाहा, जिला छतरपुर.	कोषाध्यक्ष
6.	कृष्णकान्त तनय भगवानदास शुक्ला नि. बाजना, तहसील बकस्वाहा, जिला छतरपुर.	ट्रस्ट सदस्य
7.	उपेन्द्र कुसमया तनय काशीप्रसाद नि. बाजना, तहसील बकस्वाहा, जिला छतरपुर.	ट्रस्ट सदस्य
8.	अनिल अवस्थी तनय बाबूलाल अवस्थी नि. बाजना, तहसील बकस्वाहा, जिला छतरपुर.	ट्रस्ट सदस्य
9.	मिजाजी तनय सालिगराम अवस्थी नि. बाजना, तहसील बकस्वाहा, जिला छतरपुर.	ट्रस्ट सदस्य
10.	महेन्द्र तनय बलराम कुसमया नि. बाजना, तहसील बकस्वाहा, जिला छतरपुर.	ट्रस्ट सदस्य
11.	देवी प्रसाद तनय घनश्याम शुक्ला नि. बाजना, तहसील बकस्वाहा, जिला छतरपुर.	ट्रस्ट सदस्य

क्र.	नाम	पद
12.	श्रीकान्त तिवारी तनय प्रेमनारायण नि. बाजना, तहसील बकस्वाहा, जिला छतरपुर.	ट्रस्ट सदस्य
13.	राजेश जैन तनय सुरेश कुमार जैन, नि. बाजना, तहसील बकस्वाहा, जिला छतरपुर.	ट्रस्ट सदस्य

1. चूँकि आवेदकों/न्यासियों की ओर से अभिभाषक द्वारा श्री श्री 1008 श्री नरसिंह भगवान ट्रस्ट कमेटी बाजना ग्राम व पोस्ट एवं थाना बाजना, जिला छतरपुर म.प्र. ट्रस्ट एक्ट, 1951 के अधीन पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र दिनांक 21 सितम्बर, 2017 को मेरे न्यायालय बिजावर में लिया जायेगा। इस संबंध में जिस किसी को आपत्ति हो वह आपत्ति इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से प्रकरण में नियत दिनांक के अन्दर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस में स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से अपनी आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

अनुसूची

मध्यप्रदेश लोक न्यास का नाम व पता : श्री श्री 1008 श्री नरसिंह भगवान ट्रस्ट कमेटी, बाजना पोस्ट व थाना बाजना तहसील बकस्वाहा, जिला छतरपुर (म.प्र.).

संपत्ति का विवरण :-

चल सम्पत्ति

क्र.	नाम चल संपत्ति	अनुमानित मूल्य
1.	मूर्ति शिला श्री नरसिंह जी भगवान 6 नग	500.00
2.	4 चांदी के मुकुट छोटे	1500.00
3.	श्री शालिग्राम भगवान की मूर्ति शिला की 9 नग	500.00
4.	श्री बालमुकुन्द भगवान की मूर्ति एक नग पीतल	300.00
5.	श्री बांके बिहारी भगवान की मूर्ति एक पीतल	300.00
6.	श्री त्रिभुजी नारायण भगवान की एक मूर्ति पीतल	250.00
7.	श्री हनुमान जी एक मूर्ति तांबे की	50.00
8.	श्री लक्ष्मी जी की एक मूर्ति तांबे की	50.00
9.	श्री शंकर जी की मूर्ति 3 फिट ऊँची शिला की	500.00
10.	बर्तन-थाली 2, परात-1, बाल्टी-1	165.00
11.	पूजा बर्तन-आरती-1, आचमनी-1, प्रसाद पात्र-1 झालर-1, शंक-1, गरुड़ घण्टी-1, चरणामृत पात्र-1.	475.00
12.	बल्ब एवं बोर्ड 2-2 नग.	45.00
13.	ताले-2	20.00
14.	लकड़ी का तख्त-1	300.00
15.	लकड़ी के 2 विमान	800.00

अचल सम्पत्ति:-

क्र.	नाम अचल संपत्ति	अनुमानित मूल्य
1.	भूमि खसरा नंबर 1339 में 120 x 120 वर्ग फिट में श्री श्री 1008 श्री नरसिंह भगवान का मंदिर परिसर है.

2. भूमि खसरा नंबर 1449 में 10 x 10 वर्ग फिट में दो कमरे निर्मित हैं. नजरी नक्शा संलग्न है.

3.	भूमि	खसरा नंबर	रकबा	अनुमानित मूल्य
		1295	0.214	50.00 लाख रुपये
		1296	0.278	
		1297	0.239	
		1299	0.376	
		1306/1	0.049	
		1306/2	0.049	
		1307	0.073	
		1308	0.041	
		1309	0.117	
		1310	0.239	
		1311	0.214	
		1312	0.248	
		1313	0.101	
		1325	0.073	
		1326	0.231	
		1328	0.158	
		1336	0.450	
		1337	1.412	
		1338	0.684	
		1351	0.688	
		कुल-20	6.034 हे.	

(1502)

एच. के. धुर्वे,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं लोक न्यास पंजीयक, सागर, जिला सागर

रा.प्र.क्र.02वी/113 वर्ष 2016-17.

मौजा-आपचंद.

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक प्रकाशचंद जैन अध्यक्ष, पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर, जिला सागर द्वारा नियम-4 (3) मध्यप्रदेश लोक न्यास के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर "पार्श्वनाथगिरी" के पंजीयन हेतु निवेदन किया है जिसके कार्यकारी न्यासी और प्रबंधक के नाम, पते निम्नानुसार हैं :-

1. श्री महेश कुमार बिलहरा पिता स्व. छोटेलाल, नि. बड़ा बाजार, सागर.
2. श्री संतोष कुमार पिता स्व. धरमचंद जैन, नि. कपिल मेडीकल, गढाकोटा.
3. श्री प्रकाशचंद पिता स्व. किलईलाल जैन, नि. सानौंधा.
4. श्री प्रकाशचंद जी बहेरिया वाले पिता भैयालाल जैन, नि. बाहुवली कॉलोनी, सागर.

5. श्री सिंघई रिसभ कुमार पिता स्व. कुन्दनलाल, नि. झांसी रोड, सागर.
6. श्री नरेन्द्र नायक पिता ज्ञानचंद, नि. विकास एगो तिलकगंज, सागर
7. श्री महेन्द्र कुमार भूसा पिता स्व. हजारीलाल, नि. वरदान वेयर हाउस, बण्डा.
8. श्री इंजी भीष्म जैन पिता बृजलाल, नि. शांति रेसीडेंसी, मकरोनिया.
9. श्री सुरेशचंद बेसाखिया पिता स्व. बाबूलाल, नि. नेहानगर, सागर.
10. श्री दिनेश कुमार बिलहरा पिता शीतलचंद, नि. वर्णी कॉलोनी, सागर.
11. श्री मनोज कुमार पिता फूलचंद, नि. डी. के. मशीनरी वर्णी कॉलोनी, सागर.
12. श्री रिषभ कुमार पिता लखमीचंद, नि. बाहुवली कॉलोनी, सागर.
13. श्री सुदीप कुमार पिता स्व. धरमचन्द्र, नि. वर्णी कॉलोनी, सागर.
14. श्री अजित कुमार पिता स्व. उत्तमचंद, नि. वर्णी कॉलोनी, सागर.
15. श्री निर्मल कुमार वर्तन वाले पिता स्व. कोमचंद जैन, नि. विजय टॉकीज रोड, सागर.
16. श्री वीरेन्द्र कुमार मालथौन पिता स्व. नन्हूलाल, नि. तिलकगंज वार्ड, सागर.
17. श्री सुरेशचंद्र परसोरिया वाले पिता स्व. डालचंद, नि. शांतिपुरम मकरोनिया, सागर.
18. श्री प्रदीप कुमार पिता स्व. माणिकचंद, नि. महावीर मेडीको सुभाष नगर, सागर.
19. श्री देवेन्द्र कुमार उमरावाले पिता स्व. हरिशचन्द्र, नि. कृषि विकास सेवा केन्द्र, गढ़ाकोटा.
20. श्री डॉ. संजीव जैन पिता रतनचंद, नि. शाहपुर.
21. श्री सतीष कुमार पिता स्व. कोमलचंद, नि. चनौआ.
22. श्री निर्मल कुमार पिता स्व. कोमलचंद, नि. परसोरिया.
23. श्री वीरेन्द्र कुमार पिता प्रेमचंद, नि. परसोरिया.
24. श्री अजय कुमार पिता स्व. छोटेला, नि. परसोरिया.
25. श्री नीलेश कुमार पिता स्व. श्री डालचंद जैन, नि. सानौंधा
26. श्री रविकुमार पिता खूबचंद, नि. परसोरिया.
27. श्री पवन कुमार पिता स्व. ज्ञानचंद, नि. परसोरिया.

न्यास के पदाधिकारियों का निर्वाचन कुल न्यासियों के बहुमत के आधार पर किया जायेगा. न्यास का नाम, पता एवं सम्पत्ति का विवरण निम्नानुसार है :-

लोक न्यास का नाम	:	श्री श्री 1008, पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर अतिशय क्षेत्र पार्श्वनाथगिरि. आपचंद, जिला सागर.
पता	:	आपचंद, तहसील व जिला सागर.
चल संपत्ति	:	1. अठारहवीं सदी में निर्मित शिखरबंध दिगम्बर जैन 13 पंथी आम्नाअ का मंदिर.
अचल संपत्ति	:	2. एक हाल एवं 10 कमरों की बाउण्ड्रीबाल से कबर्ड धर्मशाला. 3. जैन धर्म के तीर्थकरों की 6 पाषण की प्रतिमायें एवं 3 धातु की प्रतिमायें. 4. पाषण के कमल, सिंहासन, छत्र, चबर, भामण्डल एवं चांदी के वर्तन. 5. मंदिर एवं धर्मशाला के उपयोग का फर्नीचर. 6. जिनवाणी स्वाध्याय हेतु शास्त्र भंडार अलमारियां. 7. गुप्तदान हेतु तिजोरी. 8. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा मकरोनिया एवं परसोरिया में खाता. 9. 5 के. व्ही. ए. सायलेन्ट जनरेटर एवं इन्वरटर. 10. ध्वनि विस्तारक यंत्र.

अतः उपरोक्त ट्रस्ट रजिस्टर्ड किये जाने में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति अथवा उजर हो तो वह पेशी दिनांक 29 सितम्बर, 2017 को इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर पेश कर सकता है वाद गुजरने म्याद के किसी भी प्रकार की आपत्ति अथवा उजर पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 29 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की पदमुद्रा से जारी।

पेशी दिनांक 29 सितम्बर, 2017

जारी दिनांक 29 अगस्त, 2017

(1503)

एल. के. खरे,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी सारंगपुर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा)

क्र./01/बी-121/2016-16.

सारंगपुर, दिनांक 11 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम-1962 की धारा-5(2) देखिये]

शीर्षक:- धाकड समाज सेवा ट्रस्ट उदनखेडी, पंजीयन लोक न्यास के समक्ष.

क्रमांक/2341/प्रवा./17.क्र./01/बी-121/2016-16.—चूँकि श्री उमरावसिंह पिता गंगाधर आदि, निवासी ग्राम उदनखेडी द्वारा सार्वजनिक न्यास धाकड समाज सेवा ट्रस्ट उदनखेडी, तहसील पचोर, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1950 की धारा-4 के अन्तर्गत जो कि एक पंजीकृत धार्मिक एवं सामाजिक सेवा गतिविधि स्वरूप का होगा, के पंजीयन हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया. जिसकी चल-अचल संपत्ति परिशिष्ट में दर्शायी गई है. सर्व संबंधित को यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रार्थना-पत्र मेरे न्यायालय में विचारार्थ नियत है. जो भी व्यक्ति उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो, इसके बारे में कोई सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस अधिसूचना द्वारा सूचना दी जाती है, कि वह अवधि सूचना प्रकाशन के 30 दिवस के अन्दर सुझाव, आपत्ति दो प्रतियों में स्वयं या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें

उक्त नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्ति, सुझाव पर विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट-अ

(लोक न्यास का नाम और पता एवं संपत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम : धाकड समाज सेवा ट्रस्ट उदनखेडी, तहसील पचोर द्वारा जिला राजगढ़ (म.प्र.).
2. चल संपत्ति : 10,000/- रुपये (दस हजार रुपये)
3. अचल संपत्ति : सर्वे नं. 159 एवं सर्वे नं. 178, क्रमशः रकबा 0.315 हेक्टर, 0.61 हेक्टर कुल रकबा 0.946 हेक्टर.

उक्त विज्ञप्ति आज दिनांक 29 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई.

(1504)

रमेश पाण्डेय,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, बडवाहा

प्र.क्र.05/बी-113(1)/2016-17

फार्म-4

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951, (क्रमांक 30-1951) की धारा-5(2) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स 1952 के नियम-5 (1) के अंतर्गत]

समक्ष पंजीयक, लोक न्यास, बडवाहा

चूँकि प्रार्थी संत श्री गोपाल चैतन्यजी महाराज गुरु स्व. लक्ष्मण चैतन्य, निवासी ग्राम डेहरिया, नावघाटखेडी, तहसील बडवाहा एवं अन्य-10 की ओर से "श्री हरि गोपाल गौशाला नावघाटखेडी डेहरिया ट्रस्ट" चारूकेश्वर आश्रम, संत श्री दगडूजी बापू धाम, नावघाटखेडी, ग्राम डेहरिया, तहसील बडवाहा, जिला खरगौन में ट्रस्ट पंजीयन हेतु पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-4 के अन्तर्गत निम्न अनुसूची में दर्शित चल/अचल सम्पत्ति हेतु आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है.

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर इस न्यायालय में विचार किया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर

दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहे. निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

क्र.	नाम वस्तु	विवरण	वजन तथा नग	राशि
1	2	3	4	5
1.	नगद	1963.00
2.	अचल सम्पत्ति

(1505)

एम.आर. धुर्वे,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, अनुविभाग-पुनासा, जिला खंडवा
प्र.क्र./बी-113(1)/2016-17.

दिनांक 01 सितम्बर, 2017

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) एवं
मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के अंतर्गत]

“सीताराम देना मत न्यास ऑकारेश्वर” तहसील पुनासा, जिला खण्डवा की ओर से श्री मथुरादास त्यागी गुरु रामदास त्यागी वर्किंग ट्रस्टी एवं अध्यक्ष, निवासी ऑकारेश्वर, जिला खंडवा द्वारा “सीताराम देना मत न्यास ऑकारेश्वर” तहसील पुनासा, जिला खण्डवा स्वयं उपस्थित होकर मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4 के तहत आवेदन पत्र पेश कर उक्त ट्रस्ट के पंजीयन हेतु निवेदन किया गया. एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 15 सितम्बर, 2017 को विचार किया जायेगा.

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है. और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता : “सीताराम देना मत न्यास ऑकारेश्वर” ऑकारेश्वर मथुरादास त्यागी पिता गुरु रामदास त्यागी नि. ऑकारेश्वर वार्ड क्र.-6, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा.

अनुसूची “अ”

चल संपत्ति : 4885/- रुपये नगद.

अनुसूची “ब”

अचल संपत्ति : निरंक.

(1506)

श्रीतला पटेल,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, एम. पी. नगर वृत्त, भोपाल
प्र.क्र. 04/बी-113/2016-17.

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5(1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम-5(1) के अन्तर्गत]

समक्ष : रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट जिला भोपाल.

आवेदक न्यासी श्री रमेश चन्द्र राजपूत आ. श्री रामस्वरूप सिंह, निवासी बी-84 ए ऋषिपुरम, बरखेडा बी. एच. ई. एल., भोपाल द्वारा न्यायालय में “जनक नन्दनी फाउण्डेशन सेवा न्यास” भोपाल के नाम से मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन सूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

2. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 04 अक्टूबर, 2017 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, तो लिखित दो प्रतियों में इस विज्ञप्ति

के प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को स्वयं या अपने अधिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं. उपयुक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम	:	जनक नन्दी फाउण्डेशन सेवा न्यास, भोपाल.
कार्यालय का पता	:	बी-84 ए ऋषिपुरम, बरखेडा बी. एच. ई. एल. भोपाल.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक
चल सम्पत्ति	:	1,100/-

(1516)

रवि कुमार सिंह,
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, आष्टा जिला सीहोर

प्र.क्र.01/बी-113/2016-17.

आष्टा, दिनांक 14 सितम्बर, 2017

प्रारूप-4

[देखिए नियम-5(1)]

न्यास का नाम-“बिलकेश्वर महादेव मंदिर देवांचल धाम देवबड़ला बिलपान का मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन के संबंध में ”

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अध्यक्ष, बिलकेश्वर महादेव मंदिर देवांचल धाम देवबड़ला बिलपान, तहसील जावर, जिला सीहोर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 के अंतर्गत लोक न्यास के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः मैं, राजीव रंजन पाण्डेय, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट आष्टा, जिला सीहोर मध्यप्रदेश अपने न्यायालय में उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-1 के द्वारा यथाअपेक्षित जाँच करना प्रस्तावित करता हूँ कि:-

1. उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उनके बारे में आपत्ति या सुझाव देने का विचार रखता हो उन्हें इस सूचना द्वारा सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह की अवधि में इस न्यायालय में लिखित रूप में दो प्रतियों में अपनी आपत्ति अथवा सुझाव मेरे समक्ष व्यक्तिशः या अधिभाषक अथवा अभिकर्ता में द्वारा उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि 30 दिवस समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा. इस प्रकरण में प्रस्तुत होने वाली आपत्तियों पर सुनवाई के लिये 13 अक्टूबर, 2017 नियत की जाती है. नियत दिनांक इस न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्तियों एवं सुझावों के संबंध में अपना पक्ष समर्थन करें.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता एवं संपत्ति का विवरण)

1. ट्रस्ट का नाम : “बिलकेश्वर महादेव मंदिर देवांचल धाम देवबड़ला बिलपान, तहसील जावर, जिला सीहोर मध्यप्रदेश”.
2. पता, स्थान : ग्राम बिलपान, तहसील जावर, जिला सीहोर मध्यप्रदेश.
3. अचल सम्पत्ति : संपूर्ण बिलकेश्वर महादेव मंदिर देवबड़ला में स्थित स्वत्व व आधिपत्य की सम्पूर्ण भूमि.
4. चल सम्पत्ति : बैंक खाते में जमा राशि.

आज दिनांक 14 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के अधीन जारी किया गया.

(1517)

राजीव रंजन पाण्डेय,
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दमोह

रा.प्र.क्र.03/ब-113(1)2016-17.

प्रारूप क्र. 4

[देखें नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक, दमोह, जिला दमोह के समक्ष.

यतः कि अध्यक्ष, जय कुमार जैन पिता श्री बारेलाल जैन, श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ जैन मंदिर ट्रस्ट कमेटी दमोह, निवासी दमोह,

तहसील दमोह ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर 06 अक्टूबर, 2017 को 2 बजे कार्यालयीन दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र को प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

न्यास का नाम	:	श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ जैन मंदिर ट्रस्ट कमेटी, दमोह.
चल संपत्ति	:	402018/- रुपये.
अचल संपत्ति	:	ख. नं. 62/129 रकवा 0.009 हे. एवं ख. नं. 62/140 रकवा 0.079 हे.

सी. पी. पटैल,

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(1526)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मेथावा, तहसील बडवाह, जिला खरगौन

दिनांक 01 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 सी के अंतर्गत]

क्र./क्यू./2017.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मेथावा, तहसील बडवाह, जिला खरगौन पंजीयन क्रमांक/के. आर.जी.एन./907, दिनांक 05 अक्टूबर, 2003 को उप आयुक्त, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2017/793 खरगौन, दिनांक 10 अगस्त, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाओं के नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (सी/ग) के अंतर्गत में एच. सी. यादव, उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मेथावा, तहसील बडवाह, जिला खरगौन उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत करें त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

सूचना आज दिनांक 01 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

एच. सी. यादव,

उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक.

(1507)

कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना

मुरैना, दिनांक 01 सितम्बर, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/1390.—आंशी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., मुरैना, जिसका पंजीयन क्रमांक डी. आर./एम.एन.ए./1428, दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 (समपरिवर्तित) जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-60 के अंतर्गत पंजीबद्ध संस्था है। संस्था को कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017-18/1280, दिनांक 28 जुलाई, 2017 से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया। संस्था से दिनांक 28 अगस्त, 2017 तक उत्तर चाहा गया, परंतु संस्था द्वारा अपना उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया। जो इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है कि संस्था बंद है एवं वर्तमान में कार्यशील होने की कोई कार्ययोजना नहीं है। संस्था ने श्री ओ. एन. शर्मा, अंके. अधि. प्रशासक को पदभार नहीं दिया गया/रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया। ऑडिट भी लंबित रहा। निर्धारित समयावधि में निर्वाचन भी नहीं कराया है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 में प्रदत्त शक्तियां जो कि मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ/5-1-99-पन्द्रह, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये आंशी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., मुरैना को परिसमापन में लाता हूं तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड मुरैना को परिसमापक नियुक्त करता हूं तथा यह आदेशित करता हूं कि सहकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अंतिम प्रतिवेदन यथाशीघ्र नियमानुसार प्रस्तुत किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 01 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जो तत्काल प्रभावशील होगा।

(1508)

मुरैना, दिनांक 01 सितम्बर, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/1391.-जे. एस. के. साख सहकारी संस्था मर्या., मुरैना, जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर./एम.एन.ए./1413, दिनांक 27 फरवरी, 2016 जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-60 के अंतर्गत पंजीबद्ध संस्था है। संस्था को कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017-18/1279, दिनांक 27 जुलाई, 2017 से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया। संस्था से दिनांक 28 अगस्त, 2017 तक उत्तर चाहा गया, परंतु संस्था द्वारा अपना उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया। जो इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है कि संस्था बंद है एवं वर्तमान में कार्यशील होने की कोई कार्ययोजना नहीं है। संस्था ने श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, व. स. नि. प्रशासक को पदभार नहीं दिया गया/रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया। ऑडिट भी लंबित रहा। निर्धारित समयावधि में निर्वाचन भी नहीं कराया है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 में प्रदत्त शक्तियां जो कि मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ/5-1-99-पन्द्रह, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये जे. एस. के. साख सहकारी संस्था मर्या., मुरैना को परिसमापन में लाता हूं तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड मुरैना को परिसमापक नियुक्त करता हूं तथा यह आदेशित करता हूं कि सहकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अंतिम प्रतिवेदन यथाशीघ्र नियमानुसार प्रस्तुत किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 01 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जो तत्काल प्रभावशील होगा।

(1508-A)

मुरैना, दिनांक 01 सितम्बर, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/1392.-धनपाल प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., मुरैना, जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर./एम.एन.ए./1433, दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 (समपरिवर्तित) जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-60 के अंतर्गत पंजीबद्ध संस्था है। संस्था को कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017-18/1281, दिनांक 28 जुलाई, 2017 से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया। संस्था से दिनांक 28 अगस्त, 2017 तक उत्तर चाहा गया, परंतु संस्था द्वारा अपना उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया। जो इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है कि संस्था बंद है एवं वर्तमान में कार्यशील होने की कोई कार्ययोजना नहीं है। संस्था ने श्री ओ. एन. शर्मा, अंके. अधि. प्रशासक को पदभार नहीं दिया गया/रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया। ऑडिट भी लंबित रहा। निर्धारित समयावधि में निर्वाचन भी नहीं कराया है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 में प्रदत्त शक्तियां जो कि मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ/5-1-99-पन्द्रह, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये धनपाल प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., मुरैना को परिसमापन में लाता हूं तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड मुरैना को परिसमापक नियुक्त करता हूं तथा यह आदेशित करता हूं कि सहकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अंतिम प्रतिवेदन यथाशीघ्र नियमानुसार प्रस्तुत किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 01 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जो तत्काल प्रभावशील होगा।

(1508-B)

सी. पी. एस. भदौरिया,
उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दासौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए इस संबंध में संस्थाओं द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है। जिससे स्पष्ट होता है की संस्था उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब नहीं देना चाहती है तथा संस्था को लगाये गये आरोप स्वीकार हैं।

अतः मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दासौर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत आदेश जारी होने के दिनांक से निम्नलिखित सहकारी समितियों को परिसमापन में लाता हूँ और सोसाईटियों के आस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निपटारा कर कामकाज समेटन के लिए समितियों के समक्ष दर्शाये अनुसार अधिनियम की धारा-70 (1) के अधीन निम्नलिखित परिसमापकों को नियुक्त करता हूँ :—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करने का पत्र क्रमांक व दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	दशपुर श्रमिक कामगार सहकारी संस्था मर्या., मंदसौर	738/11-09-1995	637/03-07-2017	श्री एन. के. अडानिया, उप. अंके.
2.	तिरूपती साख सहकारी संस्था मर्या., मंदसौर	1032/08-10-2013	637/03-07-2017	श्री महेन्द्र तड़वाल, उप. अंके.
3.	यशोधर्मन साख सहकारी संस्था मर्या., मंदसौर	429/16-07-1987	624/03-07-2017	सुश्री विपीन बड़गोती, सह. निरी.
4.	इन्दिरा महिला साख सहकारी संस्था मर्या., मंदसौर	818/21-08-1997	635/03-07-2017	श्री एस. एल. बामनिया, सह. निरी.
5.	जनजाग्रती साख सहकारी संस्था मर्या., मंदसौर	812/30-03-1987	643/03-07-2017	श्री राजेश अग्रवाल, सह. निरी.
6.	महाकाल प्राथमिक सहकारी भण्डार मर्या., भानपुरा	1026/14-08-2013	635/03-07-2017	श्री ए. के. जैन, सह. निरी.
7.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., कवनारा प्लेग	356/21-05-1985	625/03-07-2017	श्री अनिल ओझा, सह. निरी.
8.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., तितरोद	620/20-01-1992	641/03-07-2017	श्री व्ही. के. खेरीया, सह. निरी.
9.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., गुडभेली	654/13-10-1992	642/03-07-2017	श्री एन. के. अडानिया, उप. अंके.
10.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., अंत्रालिया	938/31-12-2010	626/03-07-2017	श्री ए. के. जैन, सह. निरी.
11.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., रणायरा	636/28-03-1992	637/03-07-2017	श्री व्ही. के. खेरीया, सह. निरी.
12.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., लोध.	964/24-08-2013	639/03-07-2017	श्री महेन्द्र तड़वाल, उप. अंके.
13.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., बंजारी	953/01-12-2011	628/03-07-2017	श्री के. एल. वधवा, सह. निरी.

यह आदेश आज दिनांक 17 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

भारत सिंह चौहान,
उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर

क्र./परि./1824.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., कुलैथ, जिला ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक ए.आर./जी.डब्लू.आर./884, दिनांक 24 फरवरी, 1999 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1923, दिनांक 22 अक्टूबर, 2009 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था। परिसमापक श्री आलोक साहू, उप-अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जा कर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशांसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., कुलैथ, जिला ग्वालियर का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(1510)

ग्वालियर, दिनांक 08 सितम्बर, 2017

क्र./परि./1825.—ग्वालियर गौड़ खनिज सहकारी संस्था मर्या., शंकरपुर, जिला ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक ए.आर./जी.डब्लू.आर./439, दिनांक 22 जुलाई, 1985 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1419, दिनांक 23 मई, 2006 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था। परिसमापक श्री आलोक साहू, उप-अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जा कर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशांसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये ग्वालियर गौड़ खनिज सहकारी संस्था मर्या., शंकरपुर, जिला ग्वालियर का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(1510-A)

अनुभा सूद,
उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी

शिवपुरी, दिनांक 20 अगस्त, 2017

क्र./परि./2017/2244.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, देहरेटाअब्बल, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी, पंजीयन क्र. 654, दिनांक 01 दिसम्बर, 2015 के परिसमापक श्री अनिल श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक द्वारा उपरोक्त संस्था के सदस्यों के हितों की दृष्टि से कार्यशील किये जाने का प्रस्ताव अपनी अनुशांसा सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है। जिससे सहमत होते हुये पूर्व आदेश क्र./परि./1388, दिनांक 27 अगस्त, 2007 को निरस्त किया जाकर संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत परिसमापन से मुक्त किया जाता है। संस्था के कारोबार चलाने हेतु 3 माह के लिये निम्नांकित सदस्यों की प्रबंध समिति नामांकित की जाती है। नामांकित प्रबंध समिति तीन माह के भीतर नियमानुसार निर्वाचन कराये जाने की कार्यवाही प्रारंभ करें अन्यथा की स्थिति में संस्था के पुनः परिसमापन की कार्यवाही कर दी जावेगी :-

- | | |
|---|-----------|
| 1. श्रीमती सखी पत्नि देवलाल जाटव | अध्यक्ष |
| 2. श्रीमती कुसुमा पत्नि गुलजार जाटव | उपाध्यक्ष |
| 3. श्रीमती मनिया बाई पत्नि सूरज जाटव | सदस्य |
| 4. श्रीमती रेखा पत्नि कमलेश जाटव | सदस्य |
| 5. श्रीमती जानकी पत्नि पन्ना लाल जाटव | सदस्य |
| 6. श्रीमती धनकू पत्नि नत्थाराम जाटव | सदस्य |
| 7. श्रीमती पिस्ता बाई पत्नि धनीराम जाटव | सदस्य |

(1511)

एस. के. सिंह,
उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, जिला सागर

सागर, दिनांक 30 अगस्त, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1644.—बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पार, विकासखण्ड बीना, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्र. 161, दिनांक 04 मार्च, 2013 है। कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/909, दिनांक 16 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। परिसमापक सहकारिता विस्तार अधिकारी, बीना, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पार, विकासखण्ड बीना, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्र. 161, दिनांक 04 मार्च, 2013 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ। यह आदेश आज दिनांक 30 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1512)

सागर, दिनांक 30 अगस्त, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1645.—कृषक बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., निवोदिया, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्र. 135, दिनांक 23 जून, 2003 है। कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/736, दिनांक 24 अप्रैल, 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। परिसमापक सहकारिता विस्तार अधिकारी, राहतगढ़, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषक बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., निवोदिया, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्र. 135, दिनांक 23 जून, 2003 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ। यह आदेश आज दिनांक 30 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1512-A)

सागर, दिनांक 30 अगस्त, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1646.—शारदा बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., भगवानगंज, वार्ड नं. 15, सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्र. 1327, दिनांक 13 जुलाई, 2009 है। कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/842, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। इसके पश्चात् आदेश क्र./परिसमापन/275, दिनांक 13 फरवरी, 2017 से श्री रजनीश नायक, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया है। परिसमापक श्री रजनीश नायक, सहकारी निरीक्षक, सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शारदा बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., भगवानगंज, वार्ड नं. 15, सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्र. 1327, दिनांक 13 जुलाई, 2009 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1512-B)

सागर, दिनांक 30 अगस्त, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1647.—बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., गुरूगोविन्द सिंह वार्ड, सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्र. 1290, दिनांक 25 फरवरी, 2008 है. कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/199, दिनांक 11 फरवरी, 2015 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. परिसमापक सहकारिता विस्तार अधिकारी, सागर, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., गुरूगोविन्द सिंह वार्ड, सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्र. 1290, दिनांक 25 फरवरी, 2008 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1512-C)

सागर, दिनांक 30 अगस्त, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1648.—जवाहर महिला जन कल्याण उद्योग सहकारी समिति मर्या., चकराघाट सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्र. 567, दिनांक 25 मार्च, 1994 है. कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/1737, दिनांक 03 अगस्त, 2000 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. इसके पश्चात् आदेश क्र./परिसमापन/3203 दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, सागर को परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापक सहकारिता विस्तार अधिकारी, सागर, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जवाहर महिला जन कल्याण उद्योग सहकारी समिति मर्या., चकराघाट सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्र. 567, दिनांक 25 मार्च, 1994 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1512-D)

सागर, दिनांक 30 अगस्त, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1649.—रानी दुर्गावती महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., भैंसा (भैंसा पहाड़ी), विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्र. 829, दिनांक 20 मई, 2002 है. कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/766, दिनांक 24 अप्रैल, 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. परिसमापक सहकारिता विस्तार अधिकारी, सागर, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रानी दुर्गावती महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., भैंसा (भैंसा पहाड़ी), विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्र. 829, दिनांक 20 मई, 2002 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1512-E)

सागर, दिनांक 30 अगस्त, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1650.—अनमोल ज्योति महिला विकास सहकारी समिति मर्या., बल्लभ नगर वार्ड सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्र. 942, दिनांक 25 सितम्बर, 2002 है. कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/2806, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. परिसमापक सहकारिता विस्तार अधिकारी सागर, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशांसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी सोसायटी सागर (म.प्र.), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनमोल ज्योति महिला विकास सहकारी समिति मर्या., बल्लभ नगर वार्ड सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्र. 942, दिनांक 25 सितम्बर, 2002 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1512-F)

सागर, दिनांक 30 अगस्त, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1651.—तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., करीपुर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्र. 559, दिनांक 28 दिसम्बर, 1993 है. कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/954, दिनांक 31 मार्च, 2005 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. इसके पश्चात् आदेश क्र./परिसमापन/1300, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से श्री आर. के. केसरी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापक श्री आर. के. केसरी, सहकारी निरीक्षक, सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशांसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी सोसायटी सागर (म.प्र.), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., करीपुर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्र. 559, दिनांक 28 दिसम्बर, 1993 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1512-G)

सागर, दिनांक 30 अगस्त, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1652.—कृषक कल्याण सहकारी समिति मर्या., जरूआखेड़ा, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्र. 1188, दिनांक 21 मार्च, 2005 है. कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/2811, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. परिसमापक सहकारिता विस्तार अधिकारी राहतगढ़, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशांसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी सोसायटी सागर (म.प्र.), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषक कल्याण सहकारी समिति मर्या., जरूआखेड़ा, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्र. 1188, दिनांक 21 मार्च, 2005 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1512-H)

सागर, दिनांक 30 अगस्त, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1656.—खदान मजदूर कल्याण सहकारी समिति मर्या., राहतगढ़, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्र. 532, दिनांक 08 जून, 1993 है. कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/888, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. परिसमापक सहकारिता विस्तार अधिकारी राहतगढ़, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी सोसायटी सागर (म.प्र.), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खदान मजदूर कल्याण सहकारी समिति मर्या., राहतगढ़, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्र. 532, दिनांक 08 जून, 1993 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1512-L)

सागर, दिनांक 30 अगस्त, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1657.—ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., राहतगढ़, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्र. 766, दिनांक 31 अगस्त, 2000 है. कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/954, दिनांक 31 मार्च, 2005 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. परिसमापक सहकारिता विस्तार अधिकारी राहतगढ़, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी सोसायटी सागर (म.प्र.), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., राहतगढ़, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्र. 766, दिनांक 31 अगस्त, 2000 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1512-M)

सागर, दिनांक 05 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1687.—बिजोरा तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बिजोरा, विकासखण्ड देवरी, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्र. 510, दिनांक 11 नवम्बर, 1990 है. कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/954, दिनांक 31 मार्च, 2005 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. इसके पश्चात् आदेश क्र./परिसमापन/3611, दिनांक 25 नवम्बर, 2011 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड देवरी को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक विस्तार अधिकारी विकासखण्ड देवरी द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी सोसायटी सागर (म.प्र.), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिजोरा तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बिजोरा, विकासखण्ड देवरी, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्र. 510, दिनांक 11 नवम्बर, 1990 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1522)

सागर, दिनांक 05 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1688.—तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., महाराजपुर, विकासखण्ड देवरी, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्र. 464, दिनांक 13 दिसम्बर, 1989 है. कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/954, दिनांक 31 मार्च, 2005 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. इसके पश्चात् आदेश क्र./परिसमापन/3611, दिनांक 25 नवम्बर, 2011 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड देवरी को परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापक विस्तार अधिकारी विकासखण्ड देवरी द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी सोसायटी सागर (म.प्र.), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., महाराजपुर, विकासखण्ड देवरी, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्र. 464, दिनांक 13 दिसम्बर, 1989 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1522-A)

सागर, दिनांक 05 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1689.—रानी दुर्गावती महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पिपरिया पाठक, विकासखण्ड देवरी, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्र. 1185, दिनांक 07 मार्च, 2005 है. कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/702, दिनांक 24 अप्रैल, 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. परिसमापक सहकारिता विस्तार अधिकारी राहतगढ़, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी सोसायटी सागर (म.प्र.), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रानी दुर्गावती महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पिपरिया पाठक, विकासखण्ड देवरी, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्र. 1185, दिनांक 07 मार्च, 2005 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1522-B)

सागर, दिनांक 05 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1690.—रेल्वे कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बीना, विकासखण्ड बीना जिला सागर, जिसका पंजीयन क्र. 582, दिनांक 30 सितम्बर, 1963 है. कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/1137, दिनांक 17 अगस्त, 1972 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. इसके पश्चात् आदेश क्र./परिसमापन/531, दिनांक 11 अप्रैल, 2008 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बीना को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक विस्तार अधिकारी विकासखण्ड बीना द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी सोसायटी सागर (म.प्र.), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेल्वे कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बीना, विकासखण्ड बीना जिला सागर, जिसका पंजीयन क्र. 582, दिनांक 30 सितम्बर, 1963 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1522-C)

सागर, दिनांक 05 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

रैकवार मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., देवरी, विकासखण्ड देवरी, जिला सागर मध्यप्रदेश पंजीयन क्र. 448, दिनांक 02 जून, 1989 को कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/2016/768, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, देवरी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के सदस्यों की मांग एवं संस्था की विशेष आमसभा दिनांक 16 जुलाई, 2017 में संस्था को पुनर्जीवित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया. परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा करते हुये प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया. पारित प्रस्ताव एवं परिसमापक की अनुशंसा के आधार पर संस्था व उसके सदस्यों के हित में संस्था को पुनर्जीवित किया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/2016/768, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा जारी परिसमापन आदेश निरस्त करते हुए रैकवार मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., देवरी, विकासखण्ड देवरी, जिला सागर मध्यप्रदेश पंजीयन क्र. 448, दिनांक 02 जून, 1989 को पुनर्जीवित करता हूँ. साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार सदस्यों की अस्थायी कमेटी का गठन तीन माह के लिये करता हूँ:-

क्र.	नाम पिता/पति का नाम	पदनाम	क्र.	नाम पिता/पति का नाम	पदनाम
1.	श्री कुन्दन रैकवार/श्री लीलाधर	अध्यक्ष	7.	श्रीमती सुमन रैकवार/श्री मूरत	सदस्य
2.	श्री राजू रैकवार/श्री सालकराम	उपाध्यक्ष	8.	श्रीमती मायाबाई/श्री प्रकाश	सदस्य
3.	श्री मल्थू रैकवार/श्री खुमान	उपाध्यक्ष	9.	श्रीमती पप्पू रैकवार/श्री भैरो	सदस्य
4.	श्री भरत रैकवार/श्री हरीशंकर	सदस्य	10.	श्री कमलेश रैकवार/श्री कुन्नी	सदस्य
5.	श्री भुवानी रैकवार/श्री छोटेलाल	सदस्य	11.	श्री कनई रैकवार/श्री हल्के	सदस्य
6.	श्री कमल रैकवार/श्री गजाधर	सदस्य			

संस्था का निर्वाचन 03 माह के अंदर करवाकर नव निर्वाचित कमेटी को कार्यभार सौंपा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 05 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

पी. आर. कावड़कर,

उप-पंजीयक.

(1522-D)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 28 अगस्त, 2017

क्र./परि./2017/1288.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2016/649, दिनांक 12 मई, 2016 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पथरई, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./997, दिनांक 16 मार्च, 2015 को परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. के. सोनी, सहकारी निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, ग्यारसपुर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पथरई, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है.

मैं समापक के द्वारा की गयी कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं . ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1), एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ5-1-99/एक पन्द्रह-1सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पथरई, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./997, दिनांक 16 मार्च, 2015 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1513)

विदिशा, दिनांक 28 अगस्त, 2017

क्र./परि./2017/1289.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2016/771, दिनांक 24 जून, 2016 से श्री जगदीश बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मानोरा, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./738, दिनांक 04 अक्टूबर, 2008 को परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. के. सोनी, सहकारी निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, ग्यारसपुर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा श्री जगदीश बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मानोरा, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है.

मैं समापक के द्वारा की गयी कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं . ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1), एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री जगदीश बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मानोरा, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./738, दिनांक 04 अक्टूबर, 2008 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1513-A)

विदिशा, दिनांक 28 अगस्त, 2017

क्र./परि./2017/1290.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2015/795, दिनांक 13 अगस्त, 2015 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हिरनोदा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./878, दिनांक 01 जुलाई, 2013 को परिसमापन में लाया जाकर श्री पी. एस. रघुवंशी, सहकारी निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, बासौदा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, उकायला, तहसील बासौदा, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है.

मैं समापक के द्वारा की गयी कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं . ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1), एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हिरनोदा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./878, दिनांक 01 जुलाई, 2013 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1513-B)

विदिशा, दिनांक 28 अगस्त, 2017

क्र./परि./2017/1292.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2015/792, दिनांक 13 अगस्त, 2015 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, उकायला, तहसील बासौदा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./840, दिनांक 22 फरवरी, 2013 को परिसमापन में लाया जाकर श्री पी. एस. रघुवंशी, सहकारी निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, बासौदा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, उकायला, तहसील बासौदा, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है.

मैं समापक के द्वारा की गयी कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं . ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1), एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, उकायला, तहसील बासौदा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./840, दिनांक 22 फरवरी, 2013 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1513-C)

विदिशा, दिनांक 28 अगस्त, 2017

क्र./परि./2017/1293.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2015/798, दिनांक 13 अगस्त, 2015 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, करोंदा कला, तहसील बासौदा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./815, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 को परिसमापन में लाया जाकर श्री पी. एस. रघुवंशी, सहकारी निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, बासौदा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, करोंदा कला, तहसील बासौदा, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है.

मैं समापक के द्वारा की गयी कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं . ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1), एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, करोंदा कला, तहसील बासौदा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./815, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1513-D)

विदिशा, दिनांक 28 अगस्त, 2017

क्र./परि./2017/1294.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2016/773, दिनांक 24 जून, 2006 से लक्ष्मी महिला बहु. सहकारी संस्था मर्यादित, मूडरा मेवली, तहसील बासौदा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./680, दिनांक 28 अप्रैल, 2004 को परिसमापन में लाया जाकर श्री ओ. पी. शर्मा, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा लक्ष्मी महिला बहु. सहकारी संस्था मर्यादित, मूडरा मेवली, तहसील बासौदा, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है.

मैं समापक के द्वारा की गयी कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं . ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1), एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लक्ष्मी महिला बहु. सहकारी संस्था मर्यादित, मूडरा मेवली, तहसील बासौदा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./680, दिनांक 28 अप्रैल, 2004 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1513-E)

विदिशा, दिनांक 28 अगस्त, 2017

क्र./परि./2017/1295.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2015/794, दिनांक 13 अगस्त, 2015 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रतनखेड़ी, तहसील बासौदा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./852, दिनांक 04 मार्च, 2013 को परिसमापन में लाया जाकर श्री पी. एस. रघुवंशी, सहकारी निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी बासौदा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रतनखेड़ी, तहसील बासौदा, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है.

मैं समापक के द्वारा की गयी कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं . ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1), एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रतनखेड़ी, तहसील बासौदा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./852, दिनांक 04 मार्च, 2013 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1513-F)

विदिशा, दिनांक 28 अगस्त, 2017

क्र./परि./2017/1296.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2006/207, दिनांक 19 फरवरी, 2007 एवं संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/516, विदिशा दिनांक 16 जून, 2014 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हिनोतिया, तहसील विदिशा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./287, दिनांक 31 अक्टूबर, 1986 को परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. एस. राज, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हिनोतिया, तहसील विदिशा, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है.

मैं समापक के द्वारा की गयी कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं . ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1), एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हिनोतिया, तहसील विदिशा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./287, दिनांक 31 अक्टूबर, 1986 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1513-G)

विदिशा, दिनांक 31 अगस्त, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1314.—प्रगति महिला बहुउद्देशीय साख सहकारी संस्था मर्यादित, पौआनाला, तहसील व जिला विदिशा के संबंध में निर्वाचन अधिकारी की टीप अनुसार संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ रही है एवं सदस्यों को भी संस्था का संचालन करने में कोई रूचि नहीं है, साथ ही संस्था अपनी पंजीकृत उपविधियों के अनुसार कार्य करने में असफल रही है.

अतः उक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (क) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा प्रगति महिला बहुउद्देशीय साख सहकारी संस्था मर्यादित, पौआनाला, तहसील व जिला विदिशा का पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./1057, दिनांक 28 जनवरी, 2017 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 31 अगस्त, 2017 को जारी करता हूँ (1513-H)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

मछुआ मारन-पालन सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा, तहसील व जिला विदिशा के संबंध में निर्वाचन अधिकारी की टीप अनुसार संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ रही है एवं सदस्यों को भी संस्था का संचालन करने में कोई रुचि नहीं है, साथ ही संस्था अपनी पंजीकृत उपविधियों के अनुसार कार्य करने में असफल रही है।

अतः उक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (क) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मछुआ मारन-पालन सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा, तहसील व जिला विदिशा का पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./130, दिनांक 21 मार्च, 1967 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 31 अगस्त, 2017 को जारी करता हूँ (1513-I)

विदिशा, दिनांक 31 अगस्त, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1316.—साईबाबा-झूलेलाल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा के प्रशासक श्री जी. के. पंजाबी, सहकारी निरीक्षक की टीप अनुसार संस्था का निर्वाचन कराने हेतु रिकार्ड एवं जानकारी उपलब्ध कराने एवं निर्वाचन कराने में असफल रही है। प्रशासक द्वारा आयोजित वार्षिक आमसभा दिनांक 20 अगस्त, 2017 में संस्था को परिसमापन में लाने का प्रस्ताव पारित किया गया है।

अतः उक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (क) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा साईबाबा झूलेलाल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा का पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./237,

दिनांक 29 सितम्बर, 1981 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 31 अगस्त, 2017 को जारी करता हूँ

ए. के. सिंह,

उप-पंजीयक.

(1513-J)

कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्र 813, दिनांक 30 अप्रैल, 2010 द्वारा बादशाह महिला प्राथ. उप. सहकारी संस्था मर्या., देवास, तहसील देवास, जिला देवास, जिसका पंजीयन क्रमांक 927, दिनांक 07 मार्च, 2001 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री पर्वतसिंह निगवाल, सह. निरी. को संस्था को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 04 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1514)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2297, दिनांक 1 नवम्बर, 2014 के द्वारा नैना महिला प्रा. उप. सहकारी संस्था मर्या., देवास, तहसील.. , जिला देवास, जिसका पंजीयन क्रमांक 948, दिनांक 10 मई, 2001 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्रीमती अनिता मेहरा, सह. निरी. को संस्था को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 04 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1514-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1636, दिनांक 27 सितम्बर, 2006 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपलकोटा, तहसील सतवास, जिला देवास, जिसका पंजीयन क्रमांक 501, दिनांक 31 मार्च, 1993 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री पर्वतसिंह निगवाल, सह. निरी. को संस्था को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 04 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1514-B)

देवास, दिनांक 04 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत टेकरी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., देवास, पंजीयन क्रमांक 1057, दिनांक 10 अप्रैल, 2003 को आदेश क्रमांक/परि./2016/841, देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्रीमती तरूणा ठाकुर, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा बुलाई गयी एवं सभा में उपस्थित सदस्यों के सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किये जाने पर कि संस्था की आर्थिक उन्नति के लिये पुनर्जीवित किया जाना आवश्यक है चूँकि संस्था वर्तमान में कार्यशील है एवं गैस एजेंसी का कार्य कर रही है। आमसभा के परिप्रेक्ष्य में परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने का आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

परिसमापक के आवेदन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व में बने रहना आवश्यक है। उक्त के प्रकाश में यह प्रतीत होता है कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाये।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत टेकरी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., देवास, पंजीयन क्रमांक 1057, दिनांक 10 अप्रैल, 2003 का परिसमापन आदेश निरस्त करता हूँ एवं संस्था के कार्य संचालन के लिये पुलिस अधीक्षक देवास को प्रशासक नियुक्त करता हूँ। प्रशासक संचालक मण्डल के निर्वाचन संपन्न कराने के लिये प्रस्ताव मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी को इस कार्यालय के माध्यम से भेजने हेतु प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 04 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

मनोज जायसवाल,

उप-पंजीयक.

(1514-C)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चिडावद	1175/10-05-2007	1021/08-04-2013
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भरियाबावडी	1102/11-10-2005	1197/16-07-2015
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कैलोद	744/29-10-1991	811/30-04-2016
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महुडिया	592/02-04-1992	405/18-02-2016
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भेरुपुरा	973/10-09-2001	1923/14-12-2016

1	2	3	4
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रामगढ़	698/16-05-1990	697/02-04-2016
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोंदलिया	1106/20-10-2005	1199/16-07-2015
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चिडावद	280/10-01-1976	337/16-12-2016
9.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दत्तोतरमण्डी	383/18-06-1976	701/12-04-2016
10.	श्री अम्बे रेत खदान खनिज सह. संस्था मर्या., देवास	857/01-09-1998	1236/20-07-2015

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ए. बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 07 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

विनोद सरयाम,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(1525)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महुडी	927/11-01-1982	1620/14-06-2012
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पारदीखेडा	1194/31-01-2008	369/16-02-2016
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेरियासाहु	1016/09-07-2002	350/16-02-2016
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुराडियागुर्जर	422/11-10-1982	414/18-02-2016
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपल्यामचोड	1081/02-08-2004	804/30-04-2016
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बुदासा	225/29-07-1976	1200/16-07-2015
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपल्याखुर्द	1404/28-02-2014	368/16-02-2016
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मेंडिया	1488/07-10-2014	1488/07-10-2014
9.	न्यू आदर्श प्रा. उप. भण्डार, सोनकच्छ	778/04-03-1995	803/30-04-2016
10.	श्री बीज उत्पा. सह. संस्था, नानाधाराखेडी	1557/18-03-2015	1388/03-08-2017
11.	राजानल मत्स्योद्योग सह. सं., सुमराखेडा	1012/06-05-2002	1385/03-08-2017

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ए. बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयवधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपें गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 04 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

मनोहर कैथवास,

(1525-A)

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	समता प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., देवास	814/29-06-1996	1381/03-08-2017

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्था के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ए. बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयवधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपें गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 18 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

अनिता मेहरा,

(1525-B)

परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर

धारा-70 (1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खातेगांव	1507/14-10-2014	23/21-01-2017
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रंथा	1422/15-05-2014	1902/24-12-2016
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सवासडी	1291/07-02-2013	1904/24-12-2016
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरछाखुर्द	1384/06-01-2014	1905/24-12-2016
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भटसा	1386/06-01-2014	1899/24-12-2016
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुनगासा	1514/22-10-2014	1912/24-12-2016
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिलोदा	352/16-02-2016	1911/24-12-2016
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दुदवास	1393/30-01-2014	1910/24-12-2016
9.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नयापुरा	1036/04-02-2002	1920/24-12-2016
10.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रिछी	935/23-03-2001	1898/24-12-2016

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ए. बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयवधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपें गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दशाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 20 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

(1525-C) आर. के. सोनी,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा

आगर-मालवा, दिनांक 09 अगस्त, 2017

संशोधित आदेश

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1390.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/1172, दिनांक 11 जुलाई, 2017 द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरखेडा, तहसील बड़ौदा, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 49, दिनांक 23 फरवरी, 2015) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) एवं 70 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री एम. के. भटनागर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

श्री एम. के. भटनागर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक का स्थानांतरण, जिला नीमच हो जाने के फलस्वरूप श्री भटनागर के स्थान पर श्री योगेश शर्मा, सहकारी निरीक्षक, आगर-मालवा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

नवनियुक्त परिसमापक पूर्व परिसमापक से एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 09 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1515-A)

आगर-मालवा, दिनांक 09 अगस्त, 2017

संशोधित आदेश

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1391.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/1171, दिनांक 11 जुलाई, 2017 द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ढाबला पिपलोन, तहसील बड़ौद, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 40, दिनांक 22 जनवरी, 2015) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) एवं 70 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री एम. के. भटनागर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

श्री एम. के. भटनागर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक का स्थानांतरण, जिला नीमच हो जाने के फलस्वरूप श्री भटनागर के स्थान पर श्री गोपाल माहेश्वरी, उप-अंकेक्षक, आगर-मालवा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

नवनियुक्त परिसमापक पूर्व परिसमापक से एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 09 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1515-B)

आगर-मालवा, दिनांक 09 अगस्त, 2017

संशोधित आदेश

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1392.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/1770, दिनांक 11 जुलाई, 2017 द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., निपानिया हनुमान, तहसील बड़ौद, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 47, दिनांक 23 फरवरी, 2015) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) एवं 70 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री एम. के. भटनागर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

श्री एम. के. भटनागर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक का स्थानांतरण, जिला नीमच हो जाने के फलस्वरूप श्री भटनागर के स्थान पर श्री एल. एस. ठाकुर, अंकेक्षण अधिकारी, आगर-मालवा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

नवनियुक्त परिसमापक पूर्व परिसमापक से एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 09 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1515-C)

आगर-मालवा, दिनांक 26 जुलाई, 2017

संशोधित आदेश

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1311.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/1181, दिनांक 11 जुलाई, 2016 द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दावतपुर, तहसील नलखेडा, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 26, दिनांक 05 जनवरी, 2015) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) एवं 70 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री बी. एस. सौलंकी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

श्री सौलंकी, व.स.नि. का स्थानांतरण, जिला अलीराजपुर हो जाने के फलस्वरूप श्री सौलंकी के स्थान पर सहकारिता विस्तार अधिकारी नलखेडा, जिला आगर-मालवा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

नवनियुक्त परिसमापक पूर्व परिसमापक से एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 26 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1515-D)

आगर-मालवा, दिनांक 26 जुलाई, 2017

संशोधित आदेश

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1312.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/1270, दिनांक 21 जुलाई, 2016 द्वारा माँ बगलामुखी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नलखेडा, तहसील नलखेडा, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 1020, दिनांक 05 मई, 2010) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) एवं 70 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री बी. एस. सौलंकी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

श्री सौलंकी, व.स.नि. का स्थानांतरण, जिला अलीराजपुर हो जाने के फलस्वरूप श्री सौलंकी के स्थान पर सहकारिता विस्तार अधिकारी नलखेडा, जिला आगर-मालवा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

नवनियुक्त परिसमापक पूर्व परिसमापक से एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 26 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1515-E)

आगर-मालवा, दिनांक 26 जुलाई, 2017

संशोधित आदेश

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1315.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/1179, दिनांक 11 जुलाई, 2016 द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गरेली, तहसील सुसनेर, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 79, दिनांक 05 अक्टूबर, 2015) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) एवं 70 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री बी. एस. सौलंकी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

श्री सौलंकी, व.स.नि. का स्थानांतरण, जिला अलीराजपुर हो जाने के फलस्वरूप श्री सौलंकी के स्थान पर सहकारिता विस्तार अधिकारी सुसनेर, जिला आगर-मालवा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

नवनियुक्त परिसमापक पूर्व परिसमापक से एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 26 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1515-F)

आगर-मालवा, दिनांक 26 जुलाई, 2017

संशोधित आदेश

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1316.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/182, दिनांक 22 सितम्बर, 2015 द्वारा नाकोडा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बडौद, तहसील बडौद, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 1008, दिनांक 28 अक्टूबर, 2009) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) एवं 70 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री मनोहर कैथवास, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

श्री कैथवास, स.नि. का स्थानांतरण, जिला देवास हो जाने के फलस्वरूप श्री कैथवास के स्थान पर सहकारिता विस्तार अधिकारी बडौद, जिला आगर-मालवा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

नवनियुक्त परिसमापक पूर्व परिसमापक से एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 26 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1515-G)

आगर-मालवा, दिनांक 26 जुलाई, 2017

संशोधित आदेश

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1317.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2017/104, दिनांक 19 जनवरी, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गुराडिया बडौद, तहसील बडौद, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 254, दिनांक 30 दिसम्बर, 1983) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) एवं 70 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री मनोहर कैथवास, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

श्री कैथवास, स.नि. का स्थानांतरण, जिला देवास हो जाने के फलस्वरूप श्री कैथवास के स्थान पर सहकारिता विस्तार अधिकारी बडौद, जिला आगर-मालवा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

नवनियुक्त परिसमापक पूर्व परिसमापक से एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 26 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1515-H)

आगर-मालवा, दिनांक 26 जुलाई, 2017

संशोधित आदेश

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1318.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/1157, दिनांक 11 जुलाई, 2016 द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गुदरावन, तहसील नलखेडा, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 77, दिनांक 23 सितम्बर, 2015) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) एवं 70 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री मनोहर कैथवास, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

श्री कैथवास, स.नि. का स्थानांतरण, जिला देवास हो जाने के फलस्वरूप श्री कैथवास के स्थान पर श्री मोह. आरिफ खान, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

नवनियुक्त परिसमापक पूर्व परिसमापक से एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 26 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1515-I)

आगर-मालवा, दिनांक 26 जुलाई, 2017

संशोधित आदेश

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1319.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/180, दिनांक 22 सितम्बर, 2015 द्वारा नवीन मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., सोयतकलां, तहसील सुसनेर, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 868, दिनांक 31 अक्टूबर, 2003) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) एवं 70 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री मनोहर कैथवास, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

श्री कैथवास, स.नि. का स्थानांतरण, जिला देवास हो जाने के फलस्वरूप श्री कैथवास के स्थान पर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सुसनेर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

नवनियुक्त परिसमापक पूर्व परिसमापक से एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 26 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1515-J)

आगर-मालवा, दिनांक 26 जुलाई, 2017

संशोधित आदेश

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1320.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/182, दिनांक 22 सितम्बर, 2015 द्वारा चर्मकार सहकारी समिति मर्या., कानड, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 666, दिनांक 23 जून, 1958) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) एवं 70 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री बी. एस. सौलंकी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

श्री सौलंकी, स.नि. का स्थानांतरण, जिला अलीराजपुर हो जाने के फलस्वरूप श्री सौलंकी के स्थान पर सहकारिता विस्तार अधिकारी आगर, जिला आगर-मालवा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

नवनियुक्त परिसमापक पूर्व परिसमापक से एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 26 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1515-K)

आगर-मालवा, दिनांक 26 जुलाई, 2017

संशोधित आदेश

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1321.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/180, दिनांक 22 सितम्बर, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लौलकी (सुसनेर), तहसील सुसनेर, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 483, दिनांक 21 मार्च, 1988) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) एवं 70 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री मनोहर कैथवास, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

श्री कैथवास, स.नि. का स्थानांतरण, जिला देवास हो जाने के फलस्वरूप श्री कैथवास के स्थान पर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सुसनेर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

नवनियुक्त परिसमापक पूर्व परिसमापक से एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 26 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1515-L)

आगर-मालवा, दिनांक 26 जुलाई, 2017

संशोधित आदेश

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1322.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/1180, दिनांक 11 जुलाई, 2016 द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपल्या सोनगरा, तहसील नलखेडा, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 16, दिनांक 12 नवम्बर, 2014) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) एवं 70 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री बी. एस. सौलंकी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

श्री सौलंकी, व.स.नि. का स्थानांतरण, जिला अलीराजपुर हो जाने के फलस्वरूप श्री सौलंकी के स्थान पर सहकारिता विस्तार अधिकारी नलखेडा, जिला आगर-मालवा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

नवनियुक्त परिसमापक पूर्व परिसमापक से एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 26 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1515-M)

आगर-मालवा, दिनांक 26 जुलाई, 2017

संशोधित आदेश

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1323.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/1156, दिनांक 11 जुलाई, 2016 द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धरोला, तहसील नलखेडा, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 42, दिनांक 22 जनवरी, 2015) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) एवं 70 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री मनोहर कैथवास, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

श्री कैथवास, स.नि. का स्थानांतरण, जिला देवास हो जाने के फलस्वरूप श्री कैथवास के स्थान पर श्री मोह. आरिफ खान, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

नवनियुक्त परिसमापक पूर्व परिसमापक से एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 26 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1515-N)

श्वेता रावत,

प्र. उप-पंजीयक.

कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला नीमच

नीमच, दिनांक 13 जुलाई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत]

क्र./परि./ओ.जी.सी.एस./2/378.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 207/परिसमापन/2016/207, नीमच, दिनांक 03 मई, 2016 इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 207/परिसमापन/2016/207/नीमच, दिनांक 03 मई, 2016 के द्वारा श्री आर. के. हरित, सहकारी निरीक्षक को निम्न संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया था। सोसायटी के परिसमापक के द्वारा सोसायटी के अस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशांसा की गई है। जो निम्नानुसार है:-

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन/दिनांक	रिमार्क
1.	गंगा फूल-सब्जी-बीज उत्पादक एवं विपणन सह. संस्था मर्या., बमोरा	521/17-10-2002	
2.	उदवन सिंचाई सहकारी संस्था मर्या., पडदा	803/19-07-1996	
3.	प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्या., मुकेरा	565/27-07-1991	
4.	दुग्ध उत्पादक संस्था मर्या., कजार्डा	627/21-01-1992	
5.	दुग्ध उत्पादक संस्था मर्या., बमोरा	635/13-10-1992	
6.	दुग्ध उत्पादक संस्था मर्या., महुडिया	655/13-10-1992	
7.	दुग्ध उत्पादक संस्था मर्या., पचदेवरान	626/21-01-1992	
8.	दुग्ध उत्पादक संस्था मर्या., धनेरिया कला	688/16-04-1988	
9.	दुग्ध उत्पादक संस्था मर्या., दुदशी	689/16-04-1992	
10.	नवीन फल-फूल उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बामनबडी	42/	
11.	ऐग्री एवं फारेस्टी सहकारी संस्था, नीमच	207/03-05-2016	
12.	दुग्ध उत्पादक संस्था मर्या., खेडादारू	690/14-04-1993	

उक्त सोसायटियों के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-1-99 पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रीकरण सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रर, सहकारी समितियां, नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापित उक्त सहकारी संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए निगमित निकाय को समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1518)

नीमच, दिनांक 13 जुलाई, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./ओ.जी.सी.एस./2/378.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 207/परिसमापन/2016/207/नीमच, दिनांक 03 मई, 2016 के द्वारा श्री डी. एल. उपाध्याय, सहकारी निरीक्षक को निम्न संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया था। सोसायटी के परिसमापक के द्वारा सोसायटी के अस्तित्व एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है। जो निम्नानुसार है:-

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन/दिनांक	रिमार्क
1.	शास. अफीम अल्कों प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., नीमच	629/07-03-1992	
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जीरन	733/16-11-1994	
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुचडोद	734/16-11-1994	
4.	अभिनव प्राथ. उपभोक्ता सहकारी संस्था मर्या., नीमच	520/02-01-1991	
5.	आदर्श प्राथ. उपभोक्ता सहकारी संस्था मर्या., सिगोली	33/27-04-2002	
6.	नेहरू कुम्भकार सहकारी समिति मर्या., मनासा	84/20-05-1964	
7.	नेहरू शिल्पकार सहकारी समिति मर्या., नीमच	301/10-01-1956	
8.	कृषक हार्टीकल्चर सहकारी समिति मर्या., नीमच	799/17-08-1999	
9.	विश्वकर्मा लघु उद्योग सहकारी समिति मर्या., मनासा	126/12-01-1968	
10.	उद्वहन सिंचाई सहकारी संस्था मर्या., पालसोडा	105/02-12-1963	
11.	नीमच बेंड-बाजा सहकारी संस्था मर्या., नीमच	131/28-02-1973	
12.	राजीव प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., जावद	765/16-12-1994	
13.	महिला प्रज्ञा ग्रह उद्योग सहकारी भण्डार मर्या., नीमच	24/17-10-2001	
14.	सांवलिया ईट-भट्टा उद्योग सहकारी भण्डार मर्या., नीमच	14/14-09-2000	

उक्त सोसायटियों के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रीकरण सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रर, सहकारी समितियां, नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापित उक्त सहकारी संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए निगमित निकाय को समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1518-A)

नीमच, दिनांक 13 जुलाई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत]

क्र./परि./ओ.जी.सी.एस./2/378.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 207/परिसमापन/2016/207, नीमच, दिनांक 03 मई, 2016 के द्वारा श्री आकाश अहके, सहकारी निरीक्षक को निम्न संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया था. सोसायटी के परिसमापक के द्वारा सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुसंशा की गई है. जो निम्नानुसार है:-

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	रिमार्क
1.	दुग्ध उत्पादक संस्था मर्या., गणेशपुरा	623/21-01-1992	
2.	दुग्ध उत्पादक संस्था मर्या., नवलपुरा	693/16-08-1993	
3.	पादरी समाज सामूहिक कृषि सहकारी संस्था, मालाखेडा	197/26-06-1970	
4.	हरिजन सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., रामपुरा	338/25-01-1982	
5.	सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., ज्ञातला चल्दु	21/28-08-1975	
6.	सर्वादय सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., ग्वालतालाब	186/11-09-1963	
7.	प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्या., कुण्डालिया	564/24-07-1991	
8.	प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्या., बैसला	575/30-07-1991	
9.	प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्या., माण्डा	570/27-07-1991	
10.	प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्या., पलासिया	576/30-07-1991	

उक्त सोसायटियों के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुसंशा के आधार पर सोसायटी का रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-1-99 पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रीकरण सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापित उक्त सहकारी संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए नियमित निकाय को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 13 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1518-B)

नीमच, दिनांक 13 जुलाई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत]

क्र./परि./ओ.जी.सी.एस./2017/378.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 207/परिसमापन/2016/207, नीमच, दिनांक 03 मई, 2016 के द्वारा श्री एन. के. नादेचा, सहकारी निरीक्षक को निम्न संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया था. सोसायटी के परिसमापक के द्वारा सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुसंशा की गई है. जो निम्नानुसार है :-

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	रिमार्क
1	2	3	4
1.	प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्या., जीरन 2	449/04-09-1991	
2.	प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्या., जीरन 3	550/12-07-1991	
3.	पिछड़ा वर्ग मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., जमुनियाकला	13/25-08-2000	
4.	उद्वहन सिंचाई सहकारी संस्था मर्या., करणपुरा	485/26-04-1989	

1	2	3	4
5.	प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्या., मालाहेडा	563/27-07-1991	
6.	प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्या., धामनियापठार	553/12-07-1991	
7.	प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्या., पडदा	555/12-07-1991	
8.	प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्या., जन्नोद	560/24-07-1991	
9.	भारत सुत बुनकर सहकारी संस्था मर्या., मनासा	119/23-07-1962	
10.	प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्या., भीमपुरा	552/12-07-1991	

उक्त सोसायटियों के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशांसा के आधार पर सोसायटी का रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-1-99 पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रीकरण सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापित उक्त सहकारी संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए नियमित निकाय को समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1518-C)

के. एस. सौलंकी,
सहायक रजिस्ट्रार.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन

खरगौन, दिनांक 22 अगस्त, 2017

संशोधित आदेश

क्र./परि./2017/843.—प्रशासनिक कार्यसुविधा की दृष्टि से कॉलम क्रमांक 02 में वर्णित संस्था के पूर्व प्रसारित आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए कॉलम क्रमांक 04 के नियुक्त परिसमापकों के स्थान पर कॉलम क्रमांक 05 अनुसार परिसमापक नियुक्त किया जाता है। नवनियुक्त परिसमापक संस्था की नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण कर दो माह में संस्था का अंतिम प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे:—

क्रमांक	परिसमापनाधीन सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्र./दिनांक	परिसमापन आदेश क्र./दिनांक	पूर्व नियुक्त किये गये परिसमापक का नाम	वर्तमान में नियुक्त किये गये परिसमापक का नाम
1.	रेवा मिर्च क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या. बेंड़िया, तह. सनावद.	1129/26-03-1997	1161/26-07-2006	श्री के. आर. अवासे, अंकेक्षण अधिकारी.	श्री चैनसिंह सेनानी, अंकेक्षण अधिकारी.

यह आदेश आज दिनांक 22 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1519)

राजेश क्षत्री,
उप-पंजीयक.

कार्यालय, परिसमापक प्राथमिक ईंधन सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी, जिला शिवपुरी

दिनांक 11 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

प्राथमिक ईंधन सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी, तहसील शिवपुरी, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 542, दिनांक 04 मार्च, 2008 है को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 2173, दिनांक 17 अगस्त, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे।

यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 11 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(1520)

कार्यालय, परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गड़ीवरोद, जिला शिवपुरी

दिनांक 11 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गड़ीवरोद, तहसील शिवपुरी, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 297, दिनांक 20 सितम्बर, 1994 है को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 2170, दिनांक 17 अगस्त, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 11 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(1520-A)

कार्यालय, परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कसरेना, जिला शिवपुरी

दिनांक 11 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., (शिवपुरी) कसरेना, तहसील शिवपुरी, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 191, दिनांक 16 मार्च, 1988 है को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 2171, दिनांक 17 अगस्त, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 11 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(1520-B)

कार्यालय, परिसमापक नवीन बुनकर सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी, जिला शिवपुरी

दिनांक 11 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

नवीन बुनकर सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी, तहसील शिवपुरी, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 331, दिनांक 31 मार्च, 1998 है को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 2174, दिनांक 17 अगस्त, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा

सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

आज दिनांक 11 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई।

मुकेश सक्सेना,
परिसमापक.

(1520-C)

कार्यालय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार

धार, दिनांक 24 अगस्त, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1776.—धारेश्वर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., धार, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 581 दिनांक 21-05-1984 है। कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2016/652, दिनांक 25 अप्रैल, 2016 अनुसार परिसमापन में लायी जाकर श्री विकास खराड़े, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था। संशोधित आदेश क्र./परि./2017/1535 धार, दिनांक 11 जुलाई, 2017 से श्री डी. एस. निगम, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

संस्था के नियुक्त परिसमापक द्वारा समिति को कार्यशील बनाने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जाकर संस्था को पुनर्जीवित करायें जाने का प्रस्ताव अनुशांसा सहित इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का परीक्षण करने पर पाया गया है कि संस्था कार्यशील होकर सदस्यों द्वारा मत्स्य पालन कर सकती है। इस हेतु संस्था को पुनर्जीवित करना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं अम्बरीष वैद्य, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पंद्रह-1-सी-भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारेश्वर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., धार, जिला धार को पुनर्जीवित करता हूँ एवं संस्था के कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार एक अस्थायी कामकाज कमेटी 03 माह में के लिये नियुक्त करता हूँ:-

क्र.	नाम	पद
1	2	3
1.	श्री कपिल चौहान	अध्यक्ष
2.	श्री उमरावसिंह सिटोलिया	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमती शशि सिसौदिया	उपाध्यक्ष
4.	श्री अमिताभ व्यास	संचालक
5.	श्री धीरेन्द्र दिग्घे	संचालक
6.	श्री आलोक राठौर	संचालक
7.	श्री नरेश जैन	संचालक
8.	श्री आलोक शुक्ला	संचालक
9.	श्री बद्रीसिंह ठाकुर	संचालक
10.	श्री सुरेन्द्र शर्मा	संचालक
11.	श्रीमती प्रमीला कारखानीस	संचालक

यह आदेश आज दिनांक 24 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1521)

धार, दिनांक 24 अगस्त, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1777.—अंबिका गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., धार, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 737 दिनांक 25 फरवरी, 1989 है।

को कार्यालयीन आदेश क्र./परि./1998/628, दिनांक 02 अप्रैल, 1998 अनुसार परिसमापन में लायी जाकर श्री आर. के. यादव, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. संशोधित आदेश क्र./परि./2017/942 धार, दिनांक 18 अप्रैल, 2017 से श्री विजेन्द्र रुनवाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. संशोधित आदेश क्र./परि./2017/1239/धार, दिनांक 25 मई, 2017 से श्री भूदीप सक्सेना, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के नियुक्त परिसमापक द्वारा समिति को कार्यशील बनाने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जाकर संस्था को पुनर्जीवित कराये जाने का प्रस्ताव अनुशांसा सहित इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है.

प्रस्ताव का परीक्षण करने पर पाया गया है कि संस्था कार्यशील होकर सदस्यों द्वारा गृह निर्माण हेतु सक्षम इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम हो सकती है. इस हेतु संस्था को पुनर्जीवित करना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी-भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अम्बिका गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., धार, जिला धार को पुनर्जीवित करता हूँ एवं संस्था के कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार एक अस्थायी कामकाज कमेटी 03 माह के लिये नियुक्त करता हूँ:-

क्र.	नाम	पद
1	2	3
1.	सोहनलाल-मांगीलाल	अध्यक्ष
2.	अशोक-बोन्दर	उपाध्यक्ष
3.	दिनेश-बोन्दर	उपाध्यक्ष
4.	जयराम-रामचन्द्र	संचालक
5.	मोहन-मांगीलाल	संचालक
6.	मुन्नालाल-रामचन्द्र	संचालक
7.	राजेन्द्र-रामचन्द्र	संचालक
8.	कृष्णाबाई-गोपाल	संचालक
9.	सीताबाई-सोहन	संचालक
10.	सीताराम-शंकर	संचालक
11.	जगन्नाथ-भेराजी	संचालक

यह आदेश आज दिनांक 24 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1521-A)

धार, दिनांक 28 अगस्त, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1798.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2012/1667, धार, दिनांक 23 अगस्त, 2012 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., छाजन, जिला धार, मध्यप्रदेश जिसका पंजीयन क्रमांक 673, दिनांक 29 नवम्बर, 1985 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. मालवीय, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक श्री आर. सी. मालवीय, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., छाजन, जिला धार मध्यप्रदेश का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1521-B)

धार, दिनांक 28 अगस्त, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1799.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2015/1018, धार, दिनांक 04 जुलाई, 2015 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चालनी, जिला धार, मध्यप्रदेश जिसका पंजीयन क्रमांक 612, दिनांक 22 अक्टूबर, 1984 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. के. व्यास, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक श्री एस. के. व्यास, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चालनी, जिला धार मध्यप्रदेश का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

अम्बरीष वैद्य,
उप-रजिस्ट्रार.

(1521-C)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना

मुरैना, दिनांक 28 जुलाई, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

प्रति,

1. अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी,
धनपाल प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., मुरैना.
C/o महेशचन्द्र पाराशर कलेक्ट्रेट के पीछे गणेशपुरा, मुरैना.
2. श्री ओ. एन. शर्मा, (अंके. अधि.), प्रशासक,
धनपाल प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., मुरैना.

यहकि धनपाल प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., मुरैना, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./एम.एन.ए./1433, दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 (समपरिवर्तित) जिसे आगे संस्था कहा गया है के संबंध में निम्नानुसार आरोप हैं.—

1. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
2. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या समूह शेष के हित संबंध के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित संबंधन के लिये कार्य नहीं करती है.
3. संस्था द्वारा अंकेक्षण कार्य नहीं कराया जा रहा है. वित्तीय पत्रक पंजीयक को नहीं भेजे जा रहे हैं.
4. संस्था ने सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझे प्राप्त हैं का उपयोग करते हुये मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 28 अगस्त, 2017 को लिखित उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

सी. पी. एस. भदौरिया,
उप-पंजीयक.

(1467-B)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दासौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के नियम-69 (2) के अंतर्गत]

निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए इस संबंध में संस्थाओं द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है। जिस से स्पष्ट होता है कि संस्था उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब नहीं देना चाहती है तथा संस्था को लगाये गये आरोप स्वीकार है।

अतः मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दासौर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत आदेश जारी होने के दिनांक से निम्नलिखित सहकारी समितियों को परिसमापन में लाता हूँ और सोसायटियों के आस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निपटारा कर कामकाज समेटने के लिए समितियों के समक्ष दर्शाये अनुसार अधिनियम की धारा-70 (1) के अधीन निम्नलिखित परिसमापकों नियुक्त करता हूँ :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करने का पत्र क्रमांक व दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	दशपुर श्रमिक कामगार सहकारी संस्था मर्या., मंदसौर	738/11-09-1995	637/03-07-2017	श्री एन. के. अडानिया, उप अंके.
2.	तिरूपती साख सरकारी संस्था मर्या., मंदसौर	1032/08-10-2013	637/03-07-2017	श्री महेन्द्र तड़वाल, उप अंके.
3.	यशोधर्मन साख सहकारी संस्था मर्या., मंदसौर	429/16-07-1987	624/03-07-2017	सुश्री विपीन बड़गोती, सह. निरी.
4.	इन्दिरा महिला साख सहकारी संस्था मर्या., मंदसौर	818/21-08-1997	635/03-07-2017	श्री एस. एल. बामनिया, सह. निरी.
5.	जनजाग्रती साख सहकारी संस्था मर्या., मंदसौर	812/30-03-1987	643/03-07-2017	श्री राजेश अग्रवाल, सह. निरी.
6.	महाकाल प्राथमिक सहकारी भण्डार मर्या., भानपुरा	1026/14-08-2013	635/03-07-2017	श्री ए. के. जैन, सह. निरी.
7.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., कचनारा फ्लेग	936/31-12-2010	625/03-07-2017	श्री अनिल ओझा, सह. निरी.
8.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., तितरोद	620/20-01-1992	641/03-07-2017	श्री व्ही. के. खेरीया, सह. निरी.
9.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., गुडभेली	654/13-10-1992	642/03-07-2017	श्री एन. के. अडानिया, उप अंके.
10.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., अंत्रालिया	938/31-12-2010	626/03-07-2017	श्री ए. के. जैन, सह. निरी.
11.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., रणायरा	636/28-03-1992	637/03-07-2017	श्री व्ही. के. खेरीया, सह. निरी.
12.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., लोध	964/24-08-2013	639/03-07-2017	श्री महेन्द्र तड़वाल, उप अंके.
13.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., बंजारी	953/01-12-2011	628/03-07-2017	श्री के. एल. वधवा, सह. निरी.

यह आदेश आज दिनांक.....अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

भारत सिंह चौहान,

उप-पंजीयक.

कार्यालय परिसमापक दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., अजयपुर-2, जिला मन्दासौर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएँ नियम-1962 के नियम क्रमांक/57(1)/सी के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला मन्दासौर के आदेश क्रमांक 365, दिनांक 31 मार्च, 2017 द्वारा दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., अजयपुर-2, जिला मन्दासौर जिसका पंजीयन क्रमांक 903, दिनांक 10 फरवरी, 2009 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे (अधोहस्ताक्षरकर्ता) परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मैं, के. एल. वघवा, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएँ, जिला मन्दासौर एवं उपरोक्त संस्था की परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएँ नियम-1962 के नियम क्रमांक-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उपरोक्त संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्तियों या कोई रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला मन्दासौर से मय प्रमाण के लिखित प्रस्तुत करें। समयावधि पश्चात् प्राप्त दावे, आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा। यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी सदस्य सक्षम पदाधिकारी के पास संस्था का रिकार्ड परिसम्पति या नगदी हो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना आज दिनांक 29 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी की गई है।

(1494)

कार्यालय परिसमापक दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., बंजारी, जिला मन्दासौर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएँ नियम-1962 के नियम क्रमांक/57(1)/सी के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला मन्दासौर के आदेश क्रमांक 822, दिनांक 17 अगस्त, 2017 द्वारा दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., बंजारी, जिला मन्दासौर जिसका पंजीयन क्रमांक 953, दिनांक 01 दिसम्बर, 2011 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे (अधोहस्ताक्षरकर्ता) परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मैं, के. एल. वघवा, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएँ, जिला मन्दासौर एवं उपरोक्त संस्था की परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएँ नियम-1962 के नियम क्रमांक-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उपरोक्त संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्तियों या कोई रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला मन्दासौर से मय प्रमाण के लिखित प्रस्तुत करें। समयावधि पश्चात् प्राप्त दावे, आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा। यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी सदस्य सक्षम पदाधिकारी के पास संस्था का रिकार्ड परिसम्पति या नगदी हो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना आज दिनांक 29 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी की गई है।

के. एल. वघवा,

सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(1494-A)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 18 अगस्त, 2017

क्र./परि./2017/1235.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2016/700, दिनांक 23 मई, 2016 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, अमारी, तहसील त्योंदा, जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./846, दिनांक 28 फरवरी, 2013 को परिसमापन में लाया जाकर श्री डी. के. दुबे, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, अमारी, तहसील त्योंदा, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशांसा के साथ प्रस्तुत किया गया है।

मैं समापक के द्वारा की गयी कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं . ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1), एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ5-1-99/एक पन्द्रह-1सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, अमारी, तहसील त्योंदा, जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./846, दिनांक 28 फरवरी, 2013 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कापोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ यह आदेश आज दिनांक 18 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1495)

विदिशा, दिनांक 18 अगस्त, 2017

क्र./परि./2017/1236.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2016/701, दिनांक 23 मई, 2016 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खिरिया, तहसील त्योंदा, जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./856, दिनांक 13 मार्च, 2013 को परिसमापन में लाया जाकर श्री डी. के. दुबे, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खिरिया, तहसील त्योंदा, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है।

मैं समापक के द्वारा की गयी कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं . ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1), एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ5-1-99/एक पन्द्रह-1सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खिरिया, तहसील त्योंदा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./856, दिनांक 13 मार्च, 2013 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कापोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 18 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

ए. के. सिंह,

उप-पंजीयक.

(1495-A)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

बालाजी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रूनिजा, जिसका पंजीयन क्रमांक 2269, दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 आदेश क्रमांक 2357, दिनांक 30 सितम्बर, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्री सी. एस. असोडिया को परिसमापक नियुक्त किया गया था। परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जाना है।

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की है।

उक्त संबंध में परिसमापक द्वारा प्रस्तुत जानकारी से सहमत होते हुए सहकारिता के सिद्धांतों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन संबंधी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें बेधित शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./2357, दिनांक 30 सितम्बर, 2016 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69 (4) के अन्तर्गत बालाजी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रूनिजा, पंजीयन क्रमांक 2269, दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 को पुनर्जीवित करता हूँ. साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु प्रबंधक समिति का आगामी निर्वाचन होने तक श्री सी. एस. असोडिया, को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 04 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

ओ. पी. गुप्ता,

उप-पंजीयक.

(1524)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 सितम्बर, 2017-आश्विन 7, शके 1939

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 12 अप्रैल, 2017

1. **मौसम एवं वर्षा.**-राज्य में प्रायः इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के मण्डला जिले को छोड़कर राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि.मी. तक- तहसील निवास, बिछिया, घुघरी (मण्डला) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**- जिला ग्वालियर, दमोह, सीहोर, जबलपुर में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**- जिला ग्वालियर, दमोह व जबलपुर में खरीफ फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति-**

5. **कटाई.**- जिला आगर, बुरहानपुर में गेहूँ, चना, गुना में सरसों, चना, गेहूँ व पन्ना, दमोह, अनूपपुर, सीधी, मंदसौर, खरगौन, राजगढ़, भोपाल में रबी फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**- जिला ग्वालियर, शहडोल, नीमच, बड़वानी व रायसेन में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 12 अप्रैल, 2017

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. सबलगढ़ 6. कैलारस				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गन्ना, गेहूँ (2) . .	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. मिहोना 7. रौन				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) . . (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. घाटीगांव				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, जौ, मसूर, सरसों, गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा 2. दतिया 3. भाण्डेर				
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी 2. पिछोर 3. खनियाधाना 4. नरवर 5. करैरा 6. कोलारस 7. पोहरी 8. बदरवास				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुँगावली	. .		4. (1) उड़द, मक्का, गेहूँ, चना	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		अधिक. सोयाबीन, गन्ना कम.	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	. .		(2) . .		
4. चन्देरी	. .				
5. शाढौरा	. .				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. सरसों, चना, गेहूँ की	3. . .	5. पर्याप्त.	7 पर्याप्त.
1. गुना	. .	कटाई का कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, चना, धनिया, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राधोगढ़	. .		सरसों समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7 पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. ओरछा	. .				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7 पर्याप्त.
1. लोण्डी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बक्सवाहा	. .				
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. पन्ना	. .		उड़द, मूँग, सोयाबीन, तिल,	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	. .		गेहूँ चना, जौ, रई-सरसों अलसी		
4. पवई	. .		मसूर, मटर, आलू, प्याज.		
5. शाहनगर	. .		(2) . .		
12. *जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बीना	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खुरई	. .		(2) . .		
3. बण्डा	. .				
4. सागर	. .				
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, मूँग, उड़द सुधरी हुई (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..				
2. मझगवां	..				
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिंहपुर	..				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, जौ, राई-सरसों, अरहर अधिक. मसूर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर	..				
2. सिरमौर	..				
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकचुलियान	..				
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, चना, मसूर, अलसी, राई-सरसों, गेहूँ, जौ अधिक. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. जैसिंहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना अधिक. तुअर, अलसी, मसूर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..				
2. अनूपपुर	..				
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, तुअर, अलसी, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..				
2. पाली	..				
3. मानपुर	..				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) अलसी, चना, राई-सरसों, गेहूँ, मसूर, जौ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	..				
2. सिंहावल	..				
3. मझौली	..				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. रामपुरनैकिन	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4 (1) गेहूँ अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	. .				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा	. .		4.(1) गेहूँ, चना.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मंदसौर	. .				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. धुंधड़क्का	. .				
9. संजीत	. .				
10. कयामपुर	. .				
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4 (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	. .				
23. *जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जावरा	. .		4 (1) . .	6. . .	8. . .
2. आलोट	. .		(2) . .		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलोदा	. .				
6. रतलाम	. .				
24. *जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. खाचरौद	. .		4 (1) . .	6. . .	8. . .
2. महिदपुर	. .		(2) . .		
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2. रबी फसल गेहूँ, चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़ौद	. .		4 (1) गेहूँ, चना, रायड़ा समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मोहम्मद बड़ोदिया	. .		4 (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	. .				
4. कालापीपल	. .				
5. गुलाना	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, मटर, चना अधिक. कपास कम. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .				
2. टोंकखुर्द	. .				
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नोद	. .				
6. खातेगांव	. .				
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, मक्का अधिक. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. . .
1. थांदला	. .				
2. मेघनगर	. .				
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, मूँगफली अधिक. (2) . .	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. जोवट	. .				
2. अलीराजपुर	. .				
3. कट्टीवाड़ा	. .				
4. सोंडवा	. .				
5. च. शे. आ. नगर	. .				
6. उदयगढ़	. .				
30. *जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. . . 6. . .	7. . . 8. . .
1. बदनावर	. .				
2. सरदारपुर	. .				
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .				
2. सांवेर	. .				
3. इन्दौर	. .				
4. महू	. .				
(डॉ. अम्बेडकर नगर)					
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) मक्का, तुवर, चना अधिक. ज्वार, धान, बाजरा, कपास, मूँगफली, गेहूँ, अलसी, राई-सरसों कम. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .				
2. महेश्वर	. .				
3. सेगांव	. .				
4. खरगौन	. .				
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. झिरन्या	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) गन्ना, मक्का अधिक. ज्वार, कपास कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. . .
2. ठीकरी	. .		(2) . .		
3. राजकोट	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
34. *जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पंधाना	. .		(2) . .		
3. हरसूद	. .				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. चना एवं गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) . .		
3. नेपानगर	. .				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. . .
2. खिलचीपुर	. .		(2) . .		
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. लटेरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .		
3. कुरवाई	. .				
4. बासोदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	. .				
8. ग्यारसपुर	. .				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		(2) . .		
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, . .	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .		
3. इच्छावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. रायसेन	. .		4. (1) चना, तिवड़ा, मसूर, मटर, अलसी, राई-सरसों, मूँग अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. . .
2. गैरतगंज	. .		(2) . .		
3. बेगमगंज	. .				
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. उदयपुरा	. .				
41. *जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. भैंसदेही	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. घोड़ाडोंगरी	. .		(2) . .		
3. शाहपुर	. .				
4. चिचोली	. .				
5. बैतूल	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) चना, मटर, मसूर अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		(2) . .		
3. बावई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. बनखेड़ी	. .				
8. पचमढी	. .				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .		
3. टिमरनी	. .				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोरा	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. चना, मटर, मसूर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .		(2) . .		
3. जबलपुर	. .				
4. मझोली	. .				
5. कुण्डम	. .				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .		(2) . .		
3. विजयराघौगढ़	. .				
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. *जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गाडरवारा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. करेली	..		(2) ..		
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेंदूखेड़ा	..				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	17.0		4. (1) गेहूँ चना, मटर, मसूर.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	2.6		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	67.7				
4. मण्डला	39.0				
5. घुघरी	17.1				
6. नारायणगंज	..				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बजाग	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुरा	..				
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	..		4. (1) मक्का, धान अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	..		सोयाबीन कम.	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	..		(2) ..		
4. तामिया	..				
5. सोंसर	..				
6. पांडुर्णा	..				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	..				
9. चांद			
10. बिछुआ	..				
11. हरई	..				
12. उमरेठ	..				
13. बोलखेड़ा	..				
50. *जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सिवनी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. केवलारी	..		(2) ..		
3. लखनादोन	..				
4. बरघाट	..				
5. कुरई	..				
6. घंसोर	..				
7. घनोरा	..				
8. छपारा	..				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. खैरलाँजी	..				
4. बैहर	..				
5. लालबर्वा	..				
6. वारासिवनी	..				
7. परसवाड़ा	..				
8. कटंगी	..				
9. बिरसा	..				
6. किरनापुर	..				

टीप.-*जिला सागर, रतलाम, उज्जैन, धार, खण्डवा, बैतूल, नरसिंहपुर व सिवनी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं।

आर. पी. भारती,
संयुक्त आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.